IAS PCS

आलेख सार

अंक – 6

संपादकीय

Analysis 360°

एक कदम, सफलता की ओर।।।

प्रिय अभ्यर्थियों!

जैसा कि आप जानते हैं, कि जी०एस० वर्ल्ड प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सतत प्रयासरत है, जिसके लिए दैनिक स्तर पर अंग्रेजी समाचार पत्रों का सार एवं जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही साप्ताहिक स्तर पर हिन्दी समाचार पत्रों का सार उपलब्ध कराया जाता था, किंतु सिविल सेवा परीक्षा के बढ़ते स्तर एवं बदलते प्रश्नों को देखते हुए जीएस वर्ल्ड प्रबंधन ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के सार के स्थान पर अर्द्धमासिक स्तर पर संपादकीय Analysis 360^0 आरंभ किया है।

संपादकीय Analysis 360^0 में नया क्या है?

- इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न हिन्दी समाचार पत्रों में आए संपादकीय लेखों का सार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन संपादकीय लेखों को समग्रता प्रदान करने के लिए इनसे जुड़ी सभी बेसिक अवधारणाओं को जीएस वर्ल्ड टीम द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन मुद्दों से संबंधित 2013 से अब तक सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी नीचे दिया गया है, जिससे अभ्यर्थी उस मुद्दे से जुड़े प्रश्नों को समझ सके।
- इन मुद्दों से संबंधित संभावित प्रश्नों को भी इन आलेखों के साथ दिया गया है, जिसका अभ्यास अभ्यर्थी स्वयं कर संस्थान में अपने उत्तर की जांच भी करा सकते हैं।

जीएस वर्ल्ड प्रबंधन आपके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।।।

Committed To Excellence

नीरज सिंह
(प्रबंध निदेशक, जीएस वर्ल्ड)

विषय-सूची

1.	एस.सी./एस.टी. कानून पर बहस	4
2.	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन : भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं	6
3.	फेसबुक घोटाला : डाटा में सेंधमारी	9
4.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	15
5.	सुनवाई से आस	18
6.	नौकरशाही : जिम्मेदारी और संवेदनशीलता	20
7.	रूस में राष्ट्रपति चुनाव : पुतिन की जीत	23
8.	न्याय की चौखट से न्याय की आस	28

एस.सी./एस.टी. कानून पर बहस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती स्वागत योग्य मानी जा सकती है। शायद इसलिए न्यायालय ने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'नई दुनिया' और 'पत्रिका' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

एस.सी,एस.टी कानून में सुधार (नई दुनिया)

एक अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि अनुसूचित जाति-जनजाति प्रताड़ना निवारण अधिनियम अर्थात एससी-एससी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इस बारे में सरकार के स्तर पर कोई पहल इसलिए नहीं हो पा रही थी कि कहीं उसकी मनमानी व्याख्या करके उसे राजनीतिक तूल न दे दिया जाए। इन स्थितियों में इसके सिवा और कोई उपाय नहीं रह गया था कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके कुछ ऐसे उपाय करता जिससे यह अधिनियम बदला लेने का जरिया बनने से बचे। अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि प्रताड़ना की शिकायत मिलते ही न तो तत्काल उसे एफआईआर में तब्दील किया जाएगा और न ही आरोपित की तुरंत गिरफ्तारी होगी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि न केवल आरोपित सरकारी कर्मचारियों, बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ भी सक्षम पुलिस अधिकारी की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ऐसा कोई प्रावधान सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं था कि एससी-एसटी एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि इसलिए भी था, क्योंकि कानून का तकाजा भी यही कहता है। इस एक्ट का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा था, यह इससे समझा जा सकता है कि अकेले 2016 में दलित प्रताड़ना के 5347 मामले झूठे पाए गए। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग जातीय विद्वेष बढ़ाने का काम कर रहा था। कानून के शासन की प्रतिष्ठा के लिए जहां यह जरूरी है कि अपराधी बचने न पाएं, वहीं यह भी कि निर्दोष सताए न जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर भी अच्छा किया कि एससी-एसटी एक्ट के तहत अभियुक्त को जमानत दिया जाना भी संभव है। जमानत पाने की राह साफ करने की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि अपने देश में पुलिस की जांच और अदालती कार्यवाही में देरी किसी से छिपी नहीं। कई बार यह देरी आरोपित व्यक्तियों को बहुत भारी पड़ती है।

एससी-एसटी एक्ट की अनावश्यक कठोरता को कम करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे दमनकारी कानून का पर्याय होने से बचाया है। बेहतर है कि इस तरह के अन्य कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा की जाए जो अपनी कठोरता के कारण दमनकारी कानून कहे जाने लगे हैं और जिनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। इसमें संदेह है कि यह काम सरकार कर सकती है, क्योंकि विपक्षी दल संकीर्ण राजनीतिक लाभ के फेर में उसे संबंधित वर्ग या समुदाय का बैरी करार दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी को भी इस

दूरगामी फैसला (पत्रिका)

सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि दलित और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए बने कानून का दुरुपयोग रोकना पुलिस और सभी अदालतों का काम है।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती स्वागत योग्य मानी जा सकती है। शायद इसीलिए न्यायालय ने ऐसे मामलों में एफआइआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। अदालत का मानना है कि मामला दर्ज होने के बाद पहले जांच किया जाना जरूरी है।

अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव की खबरें देश के तमाम हिस्सों से आती रहती हैं। इनके साथ होने वाले अपराधों में भी साल-दर-साल बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी वैमनस्य को जातीय समीकरणों से जोडकर कानूनी जामा पहना दिया जाता है।

कानून पीड़ितों को न्याय दिलाने का जरिया बने, इससे तो सहमत हुआ भी जा सकता है लेकिन इस कानून के दुरुपयोग का समर्थन शायद ही कोई करे। अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला कि कानून बनाते समय संसद को इसके दुरुपयोग की आशंका नहीं रही होगी। यह बात सही है कि देश में शायद ही कोई कानून ऐसा हो जिसका दुरुपयोग नहीं होता है।

लेकिन सवाल इस दुरुपयोग को रोकने का है। देश की शीर्ष अदालत के कहे बिना भी पुलिस मामले की पहले जांच कर सकती थी। कानून कोई भी क्यों न हो, किसी शिकायत की जांच किए बिना गिरफ्तारी को तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्ती किए बिना असली पीडितों को इसका लाभ नहीं मिल सकता।

बात अकेले इसी कानून की नहीं है। दहेज और छेड़छाड़ के मामलों में भी इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे मामलों में कई बार निर्दोष लोग भी चपेट में आ जाते हैं। सरकारों को आगे आकर तमाम कानूनों में हो रहे दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। हर काम अदालत के भरोसे छोडने की प्रवृत्ति भी ठीक नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के संदर्भ में गिरफ्तारी और हिरासत में रखने को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। मतलब साफ और सीधा है। सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि दलित और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए बने कानून का दुरुपयोग रोकना पुलिस का भी काम है और सभी अदालतों का भी।

मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि एससी-एसटी एक्ट को कमजोर करने का काम किया गया है। पुलिस और राज्य सरकारों के साथ ही राजनीतिक दलों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के उन तत्वों का दुस्साहस न बढ़ने पाए, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। एससी-एसटी एक्ट का अस्तित्व यही बताता है कि भारतीय समाज को जातीय द्वेष की भावना से मुक्त होना अभी भी शेष है। इसमें दोराय नहीं कि एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि दलितों और जनजातियों के उत्पीड़न के मामले सामने आते ही रहते हैं।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. "यह सही है कि समाज में और कार्यालयों में दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बेगुनाह लोगों को रंजिश इसमें फंसा दिया जाता हैं।" इस कथन के संदर्भ में एससी/एसटी एक्ट का बड़े पैमाने पर हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

GS World टीम...

क्या था मामला?

- बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले की सुनवाई के दौरान आया है। महाराष्ट्र के एक दलित कर्मचारी ने अपने खिलाफ की गई गोपनीय टिप्पणी के चलते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था।
- मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। इसके बाद उस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया।
- इस पर बचाव पक्ष का कहना था कि अगर किसी दलित व्यक्ति को लेकर ईमानदार टिप्पणी करना भी अपराध है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

न्यायालय द्वारा जारी किये गए नए दिशा-निर्देश

- ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाई की जाएगी।
- अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य लोगों को जिले के एसएसपी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी किया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत रखा जाना चाहिये या नहीं।
- इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने पर भी रोक है।

उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे हैं

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
- वर्ष 2015 में एससी-एसटी कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 15638 मुकदमों का निपटारा किया गया। इसमें से 11024 मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या फिर वे आरोप मुक्त साबित हुए। जबकि 495 मुकदमों को वापस ले लिया गया।
- केवल 4119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। ये सभी आँकड़े 2016-17 की सामाजिक न्याय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया। यह अधिनियम मुख्य अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधित प्रारूप है।

* * *

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन : भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

नई दिल्ली में 1 मार्च को हुआ महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह गठबंधन तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन आगे पेश होने वाली चुनौतियों को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। इस मुद्दे के संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'बिजनेस स्टैंडर्ड' और 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

सूरज की किरणें : एक उम्मीद (बिजनेस स्टैंडर्ड)

नई दिल्ली में 1 मार्च को हुआ महत्त्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंटरनैशनल सोलर अलायंस) भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। जलवायु परिवर्तन से वैश्विक स्तर पर पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने में भी सौर ऊर्जा एक अहम जरिया साबित हो सकती है। पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों में परंपरागत ऊर्जा की जगह अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा सबसे अधिक कारगर माध्यम प्रतीत होती है और भारत जैसा देश अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से सौर ऊर्जा को अपनी ऊर्जा नीति का अहम हिस्सा बना सकता है।

यह गठबंधन तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन आगे पेश होने वाली चुनौतियों को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। सौर ऊर्जा केवल दिन में प्राप्त की जा सकती है और इसकी उपलब्धता विभिन्न कारकों जैसे मौसम, बादल की स्थिति आदि पर निर्भर करती है। सौर ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा का एक टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए तकनीकी स्तर पर नवाचार का ध्यान सस्ती, विश्वसनीय एवं पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा भंडारण पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए।

सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल आवश्यक है और इन्हें लगाने के लिए जगह की जरूरत होती है। भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में जगह की उपलब्धता महंगी है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद सौर ऊर्जा के कई इस्तेमाल हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक हैं, खासकर ये ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में खासे कारगर साबित हो सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा उद्योग विकसित करने के अपार अवसर मौजूद हैं क्योंकि चीन की तरह यहां भी वे सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जो लागत घटाने और नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। इंटरनैशनल सोलर अलायंस की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अपने महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में कितना कामयाब होता है।

इस पहल को आगे ले जाने के लिए उन तथ्यों पर गौर करना जरूरी है, जिन्हें आधार बनाकर 2009 में तत्कालीन सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की थी। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत के तौर पर एनएपीसीसी का स्वरूप तैयार करने में मैं भी शामिल था और इसके आठ लक्ष्यों में सौर मिशन को केंद्र में

सूरज की किरणों से बंधती एक उम्मीद (हिन्दुस्तान)

दुनिया अब फिर से सूरज की ओर देख रही है। फॉसिल फ्यूल के प्रदूषण से परेशान और ग्लोबल वार्मिंग की आशंकाओं से चिंतित दुनिया की सारी उम्मीदें अब सूर्य के प्रकाश पर ही टिक गई हैं। 11 फरवरी को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंटरनेशनल सोलर एलायंस) के पहले शिखर सम्मेलन को इसी दृष्टि से देखे जाने की जरूरत है। यह सम्मेलन टिकाऊ विकास व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के महत्व को भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने लाने में कामयाब रहा। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मामले में सौर ऊर्जा के उपयोग को सबसे उपयुक्त माना जाता है। अच्छी बात यह है कि इस सम्मेलन के बहाने भारत को सौर ऊर्जा के मामले में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर मिला है।

भारतीय संस्कृति में सूर्य को वैसे भी ब्रह्मांड की आत्मा व सभी जीवों का पोषणकर्ता बताया गया है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी सूर्य से प्राप्त गरमी और रोशनी ही हमारे जीवन या अस्तित्व का मुख्य आधार भी है। सूर्य की उष्णता से ही वातावरणीय जल चक्र अनुरक्षित होता है, जो फिर विभिन्न ऋतुओं का कारक बनता है। ये ऋतुएं ही हमारे कृषि का मुख्य आधार हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। सूर्य की रोशनी से ही हरे पेड़ पौधे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, जिससे सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन बनती है और यह हमारी भोजन शृंखला का आधार भी है, जबकि हमारी पारंपरिक सोच यह कहती है कि सूर्य न सिर्फ नौ ग्रहों के प्रमुख हैं, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष देव की संज्ञा दी गई है। दूसरी तरह से देखें, तो किसी चीज की अहमियत उसकी अनुपस्थिति में ज्यादा महसूस होती है। यह बात सूर्य के साथ सटीक रूप से लागू होती है। अगर दो-चार दिन भी सूर्य दर्शन न दे, तो जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। अब जिसके बिना जीवन अस्त-व्यस्त हो जाए, वही तो जीवन का मुख्य आधार होता है। सौर प्रणाली में गड़बड़ी होने से मौसमी चक्र भी प्रभावित होता है, जिसका सीधा कुप्रभाव फसलों पर पड़ता है।

भारतीय संस्कृति की यही सोच है, जिसके चलते सूर्योपासना की परंपरा हमारे यहां आदि काल से चली आ रही है। आधुनिक काल में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य को ऊर्जा के अक्षय स्रोत के रूप में देखते हैं, परंतु शायद इसका भान हमारे पूर्वजों को भी इसी रूप में था। भारत के कई पर्व, यथा पोंगल, मकर संक्रांति, छठ, रथ सप्तमी

Committed To Excellence

रखा गया था। एनएपीसीसी के अस्तित्व में आने के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के लिए ऊर्जा जरूरतें और जलवायु परिवर्तन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

उन्होंने कहा था कि ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण की रक्षा दोनों कारणों से भारत को अपनी आर्थिक प्रगति का आधार मौजूदा जीवाश्म ईंधन के बजाय अक्षय ऊर्जा के संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा को बनाना होगा। इस ऊर्जा के संदर्भ में उन्होंने कहा था, 'इस रणनीति में सूर्य केंद्र बिंदु में है और यह सभी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होना चाहिए। अपनी अर्थव्यवस्थाको गति देने और अपने लोगों का जीवन बदलने के लिए हम वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े कौशल साथ में वित्तीय संसाधन से एक प्रचुर ऊर्जा के स्रोत के तौर पर सौर ऊर्जा विकसित करेंगे। इस कार्य में हमारी सफलता भारत का रुतबा बदल देगी। इससे भारत दुनिया के देशों के लोगों की किस्मत बदलने में भी सक्षम होगा।'

राष्ट्रीय सौर मिशन में न केवल सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया गया, बल्कि चुनौतियों से निपटने के तकनीकी रास्ते तलाशने पर भी जोर दिया गया। इस पर सहमति बनी थी कि सौर ऊर्जा को परंपरागत ग्रिड ऊर्जा के समकक्ष खड़ा करने के वास्ते 6 से 8 घंटे के ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था करने के लिए बड़े स्तर पर शोध एवं विकास शुरू किया जाना चाहिए।

यह प्रस्ताव दिया गया कि विशेषज्ञों द्वारा तय प्रारूप के अनुसार भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी जैसे संस्थानों के समूह को बोली देने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसी तरह, सौर ऊर्जा के प्रति मेगावॉट के लिए जगह की जरूरत कम करने के लिए सूक्ष्म तकनीक पर भी विचार हुआ। अंत में इस बात पर भी सहमति बनी कि सौर ऊर्जा में अस्थिरता और विभिन्न कारकों पर इसकी निर्भरता से निपटने के लिए हाइब्रिड सॉल्यूशंस जैसे सौर ऊर्जा के साथ गैस, बायोमास और ताप ऊर्जा के मिश्रण का विकल्पों पर भी विचार होना चाहिए। यह कार्य करने के लिए मिशन ने तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता साबित करने के लिए कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं पर भी विचार किया था।

मेरा मानना है कि यह पहल आगे ले जाने के लिए सरकार को वास्तविक मिशन में दिखाए गए उन तकनीकी रास्तों पर दोबारा विचार करना चाहिए, जिन पर कभी गंभीरता से काम नहीं हुआ। सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत को नेतृत्व करने की स्थिति में आना चाहिए। चीन पहले ही इसके लिए दावा कर रहा है और शोध एवं विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है।

मिशन ने इसे लेकर भी सहमति दिखाई कि सौर ऊर्जा ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। अध्ययनों में यह बात सामने आई कि सुदूर क्षेत्रों में ग्रिड से बिजली पहुंचाने के मुकाबले सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। इनमें डीजल पंपों की जगह सोलर पंपों का इस्तेमाल सबसे अधिक कारगर लगा। एक अन्य अध्ययन में पता चला कि घरों एवं औद्योगिक स्थानों दोनों जगहों बिजली कटने की स्थिति में लंबे समय तक चलने वाले मौजूदा इन्वर्टर की जगह आधुनिक सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। इससे बिजली और खर्च दोनों बचाने में मदद मिलेगी।

इलेक्ट्रिक इन्वर्टर बेकार होते हैं क्योंकि बैटरी चार्ज करने में वे कुल खपत का 30 प्रतिशत बिजली का उपभोग कर लेते हैं। भारत जैसे देश में इन विकल्पों पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। आदि सूर्य की पूजा से ही संबंधित हैं। वैसे भी आज सूर्य ही है, जो अविजित है और इसके नजदीक तक पहुंच पाने की तकनीक हम विकसित नहीं कर पाए हैं। इस लिहाज से आधुनिक काल में भी सूर्य की पूजा सबसे अधिक प्रासंगिक है। हमें यह भी समझना होगा कि विज्ञान की सीमा जहां समाप्त होती है, वहीं से प्रकृति की सत्ता का प्रारंभ होता है। आज विज्ञान तरक्की के चाहे जिस मुकाम पर हो, प्रकृति के सारे रहस्यों के उद्‌भेदन अथवा परिभाषित करने की क्षमता नहीं ग्रहण कर पाया है। प्रकृति में ऊर्जा या संसाधनों का भंडार पड़ा है, जिसे हम अपनी ज्ञान की सीमा तक ही उपयोग कर पाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा पेरिस जलवायु शिखर वार्ता में की गई थी, जिसमें 121 देशों ने हिस्सा लिया था। फिर जनवरी 2016 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से इस गठबंधन के मुख्यालय की आधारशिला गुड़गांव में रखी थी। अब दिल्ली में ही इस गठबंधन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने की अपनी अहमियत है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी कुल ऊर्जा खपत में सौर ऊर्जा के प्रतिशत को बढ़ाने का संकल्प लिया और इसके साथ ही दिल्ली सौर कार्यक्रम की भी घोषणा की।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा कराए गए विश्व ऊर्जा आकलन के मुताबिक, साल 2012 में पूरी दुनिया की वार्षिक ऊर्जा खपत लगभग 560 एक्साजूल्स (ऊर्जा मापने की एक मीट्रिक इकाई) थी, जबकि दुनिया को प्रतिवर्ष लगभग 1,600 से लेकर 45,000 एक्साजूल्स तक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। हम इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर सौर ऊर्जा के मानवीय उपयोग हेतु हमने प्रभावी तकनीक विकसित कर ली, तो पूरे विश्व में इससे ऊर्जा क्रांति आ सकती है। आज लगभग हर देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न तकनीक का विकास कर इसे आम लोगों की ऊर्जा खपत का टिकाऊ हिस्सा बनाने में जुटा है। इस हेतु कई तरह की तकनीक और विधाएं उपयोग की जाती हैं, जिनमें सौर तापन यानी सोलर हीटिंग, फोटो वोल्टैक, सौर तापीय ऊर्जा सौर वास्तुकला और कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आदि प्रमुख हैं। भारत ने साल 2022 तक 60 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था। इसमें अच्छी बात यह है कि यह लक्ष्य निर्धारित समय से चार साल पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया है। अब 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रख गया है।

किसी भी देश के लिए सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन करने का कार्यक्रम बनाना लाजिमी है, क्योंकि यह ऊर्जा का एक स्वतंत्र और कभी न खत्म होने वाला अक्षय स्रोत है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायता मिलती है और यह ग्लोबल वार्मिंग के निवारण में भी सहायक होता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का संतुलन हमेशा प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन के आयात से ही बिगड़ता है। इस समस्या का भी निदान सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन से हो सकता है। इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में त्वरित गति से आगे बढ़ना हमारे लिए लाजिमी ही नहीं, अपरिहार्य है।

इस अभियान को प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने सौर तकनीक मिशन की भी स्थापना की है, जिसके तहत शोध और अनुसंधान के माध्यम से नई तकनीक विकसित कर सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। यह माना जाता है कि आने वाले समय में जो देश इस क्षेत्र में तकनीक विकसित कर महारत हासिल करेगा,

GS World
Committed To Excellence

इंटरनैशनल सोलर अलायंस का स्वागत किया जाना चाहिए। भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी होने की क्षमता है। इसने अपने लिए खासा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना चाहता है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए तकनीक की अहम भूमिका होगी। एक तरह से भारत फिलहाल अच्छी स्थिति में है क्योंकि उम्मीद से पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा की कीमतें ग्रिड के बराबर हो गई हैं।

सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से काम करने के लिए घरेलू स्तर पर एक टिकाऊ सौर ऊर्जा उद्योग का ढांचा तैयार करते और नवाचार की तरफ बढ़ते हुए बाहर से सस्ते पैनल आयात किए जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जाती है कि कुछ उपयोगी तथ्य एकत्र करने के लिए सरकार वास्तविक मिशन पर दोबारा विचार करेगी। ये तथ्य काफी मेहनत और तननीकी परामर्श के नतीजों के बाद सामने आए थे। वही ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे हमारी सांस्कृतिक जड़ें भी जुड़ी हैं और अब विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कराना ही हमारे लिए चुनौती है।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (इंटरनेशनल सोलर एलायंस) क्या है? इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताएं की भारत में सौर ऊर्जा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए क्या आपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए।

GS World टीम...

समझौता और भारत का सौर ऊर्जा मिशन

- सबसे पहले सौर ऊर्जा का इस्तेमाल 1958 में उपग्रहों में विद्युत् आपूर्ति करने के लिये किया गया था। बीते छह दशकों में सौर ऊर्जा तकनीक लगातार सुगम और सस्ती होती गई है और आने वाले समय में यह क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। पहले सौर ऊर्जा का इस्तेमाल केवल सुदूरवर्ती स्थानों में विद्युत आपूर्ति के लिये किया जाता था।
- विश्व बैंक ने भारत से अरबों डॉलर का अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा समझौता किया है, जिसमें 2030 तक अरबों रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें स्वच्छ ऊर्जा के रास्ते पर बढ़ते भारत के लिए करोड़ों रुपए की मदद का प्रावधान रखा गया है।
- हाँलाकि पहले की तुलना में सौर ऊर्जा की कीमत लगातार गिर रही है, फिर भी विकासशील देशों में इस तरह की फोटोवोल्टिक योजनाओं के लिए वित्तीय समस्या आती है। अब अंतरराष्ट्रीय और ऊर्जा संधि (आई एस ए) में विश्व बैंक की साझेदारी के चलते विकासशील देशों को सौर ऊर्जा के उपकरण विकसित करने, लागत कम करने तथा तकनीकी स्थानांतरण में मदद मिलेगी।
- भारत ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की घोषणा के बाद से नवीनीकृत ऊर्जा उपलब्ध कराने के अपने प्रयास पाँच गुना बढ़ा दिए हैं। कुल 175 गीगावॉट नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन के भारत अब 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है।
- विश्व बैंक के सहयोग से अब अगर भारत अपने सौर ऊर्जा मिशन को पूरी गंभीरता के साथ चलाए, तो वह दिन दूर नहीं, जब वह सौर ऊर्जा के उपयोग के हासिल कर चुके जर्मनी की तरह ही ऊर्जा संरक्षण की स्थिति में आ जाएगा।
- भारत को सौर ऊर्जा सम्पन्न बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। सौर ऊर्जा में उपयुक्त होने वाले सेल और पैनल के घरेलू उत्पादन के लिए प्रयास करने होंगे। आर्थिक उन्नति को बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने की अत्यधिक आवश्यकता है।
- इस क्षेत्र में छोटे-मोटे निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता होगी।
- ग्रिड को नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिकता देने और उनकी समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। साथ ही मौसम के सही अनुमान और कोयले पर निर्भर पारंपरिक संयंत्रों की जगह व्यावहारिक तकनीकी के प्रयोग पर ध्यान देना होगा।
- बैटरी तकनीक में नई खोजें सौर ऊर्जा समझौते में भारत को बहुत लाभ दे सकती हैं।
- सौर ऊर्जा मिशन में रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रसार के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। ये संयंत्र अपर्याप्त एवं खासे महंगे पड़ते हैं। इसकी बजाय बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड को ऊर्जा देने में समर्थ होते हैं, जिसका व्यापक प्रयोग स्तर पर किया जा सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई ई ए) का मानना है कि सन् 2030 तक नवीनीकृत संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा कोयले से प्राप्त ऊर्जा की अपेक्षा अधिक हो जाएगी।
- सौर ऊर्जा के क्षेत्र में घटती कीमतों के कारण अब भारतीय सौर ऊर्जा मिशन के लिए भी आशा की जा सकती है कि यह वृहद पैमाने पर उत्पादन वाले संयंत्रों को बिना सब्सिडी के चलाने में कामयाब हो जाएगा।

***

फेसबुक घोटाला : डाटा में सेंधमारी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

फेसबुक को लेकर हालिया खुलासे ने विश्व के तमाम बड़े देशों की चिंताएं बढ़ा दी है। भारत में भी इसे लेकर तापमान गरम है। इस संदर्भ में सच यही है कि जुकरबर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सच तो यह है कि फेसबुक कंपनी हैरान होने का स्वांग कर रही है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्रों 'प्रभात खबर', 'हिन्दुस्तान', 'अमर उजाला', दैनिक जागरण' और 'जनसत्ता' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

आंकड़ों की हवस के मायने (प्रभात खबर)

गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स के मार्च 17 के फेसबुक घोटाले के खुलासे के बाद अमेरिकी कंपनी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को पिछले दो दिनों में 58,500 करोड़ रुपये के नुकसान, ब्रिटिश कंपनी स्ट्रेटेजिक कम्यूनिकेशन लेबोरेटरीज की इकाई कैंब्रिज एनालिटिका की मानवीय आकड़ों की हवस, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्राध्यापक एलेक्जेंडर कोगन की अनैतिकता की पराकाष्ठा और चुनावी लोकतंत्र में किसी भी हद तक जाकर सफलता पाने की लालसा में एक रिश्ता है।

सच यह नहीं कि जुकरबर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. सच तो यह है कि फेसबुक कंपनी हैरान होने का स्वांग कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में कंपनी की मदद दुनियाभर में 16 मार्च से ही चर्चा में है।

कैंब्रिज एनालिटिका का दावा है कि वह फेसबुकवासियों का ऐसा 'साइकोग्रफिक प्रोफाइल' दे सकती है, जो मतदाता के व्यक्तित्व को उनके मित्रों से बेहतर आंक सकती है। कोगन ने इस कंपनी के लिए 'दिस इज योर डिजिटल लाइफ' (यह आपका डिजिटल जीवन है) नामक एप बनाया, जो मनोवैज्ञानिकों के लिए एक अनुसंधान उपकरण है। यह एप उपयोगकर्ता से फेसबुक एकाउंट के जरिये लॉगइन करने के लिए कहता है और उपयोगकर्ता का फेसबुक प्रोफाइल, स्थान, मित्रों के आंकड़े आदि मांग लेता है। कोगन ने कहा है कि 'कंपनी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उसके द्वारा एकत्रित आंकड़े कानून के तहत लिये गये हैं और वे करारनामे की शर्तों की सीमा के अंदर आते हैं.' इसका कानूनी अध्ययन जरूरी है।

भारत सरकार ने भी फेसबुक को चेतावनी दे डाली है, मगर सरकार का फेसबुक से भविष्य में कैसा रिश्ता रहेगा, इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं है। अदालत में फेसबुक को भारतीय कानूनों के तहत काम करवाने के लिए मामले लंबित हैं, जिसमें यह चिंता जाहिर कि गयी है कि फेसबुक के जरिये 10 करोड़ भारतीयों की अहम जानकारी के लीक होने का खतरा है। सरकार को लिखित करार करना चाहिए कि जुकरबर्ग ये जानकारियां अमेरिकी सरकार को पेट्रियट एक्ट के तहत न दे. भारत से कमाई के बावजूद वह सरकार को सर्विस और इनकम टैक्स नहीं देता है।

आंकड़ों के बाजार में हमारी निजता (हिन्दुस्तान)

फेसबुक को लेकर हालिया खुलासे ने विश्व के तमाम बड़े देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में भी इसे लेकर तापमान गरम है। सबसे बड़ा खतरा यह बताया जा रहा है कि अगर बिचौलिए संस्थाओं यानी 'इंटरमीडियरी' कंपनियों ने डाटा में सेंधमारी की है, तो वे लोगों की निजी जानकारियों के इस्तेमाल को हर मुमकिन कोशिश करेंगी और उसका दुरुपयोग करते हुए उसे दूसरे देशों से साझा भी करेंगी। मगर हकीकत यही है कि फेसबुक के लाखों उपयोगकर्ताओं का डाटा अनधिकृत रूप से बांचा जा चुका है। फेसबुक इस समस्या को जानता है, और वह इसके निराकरण के लिए उचित कदम भी उठा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले में हमारे लिए बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में भारतीय कानून कितना सक्षम है?

बतौर एक मुल्क भारत को इस पूरी घटना से कुछ सबक लेने की जरूरत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें इसे एक ऐसा मामला मानना चाहिए, जो हमारी आंखें खोलने वाला है। अगर लाखों लोगों के डाटा में सेंधमारी की जा सकती है और अमेरिकी चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, तो इसकी कोई वजह नहीं है कि ऐसा भारत में चुनाव के समय नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत में फेसबुक के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। फिर अपना साइबर कानून भी इस प्रकार की चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह सही है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (1) (डब्ल्यू) में 'इंटरमीडियरी' की परिभाषा विस्तारपूर्वक दी गई है। उसमें फेसबुक जैसी सर्विस देने वाली तमाम कंपनियों के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां 'थर्ड पार्टी' यानी तीसरे पक्ष के डाटा का व्यापार करती हैं और उसके बदले अपनी सेवाएं देती हैं। इस अधिनियम की धारा 79 में यह सुनिश्चित किया गया है कि 'इंटरमीडियरी' अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतेंगी। इसके कुछ प्रावधान तो कानून लागू होने के समय ही परिभाषित कर दिए गए थे। मगर सच यह भी है कि ताजा घटनाओं से जो चुनौतियां उभरी हैं, वे किसी प्रावधान में परिभाषित नहीं की गई हैं।

लिहाजा यह वक्त हमारे लिए 'इंटरमीडियरी' के दायित्वों पर फिर से गौर करने का होना चाहिए। 'श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार' के मामले में शीर्ष अदालत ने इन कंपनियों को अपने दायित्वों के निर्वहन को लेकर कुछ राहत ही दी है। कंपनियों ने उस फैसले को इस रूप में भुनाया कि जब तक पुलिस या कोई सरकारी आदेश उन्हें

चुनावी लोकतांत्रिक दुनिया में ऐसे आंकड़ों की मांग है, जो मतदाता के मन को येन-केन-प्रकारेण हर ले, किसी के प्रति भयभीत कर दे या या किसी के प्रति आशावादी बना दे. धन की परिभाषा में 'देश के आंकड़े', 'निजी संवेदनशील सूचना' और 'डिजिटल सूचना' शामिल है। भारत सरकार की बॉयोमेट्रिक्स समिति की रिपोर्ट 'बॉयोमेट्रिक्स डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर यूआईडी एप्लिकेशंस की अनुशंसा में कहा है कि 'बॉयोमेट्रिक्स आंकड़े राष्ट्रीय संपत्ति हैं और उन्हें अपने मूल विशिष्ट लक्षण में संरक्षित रखना चाहिए.' इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े भी राष्ट्रीय संपत्ति हैं अन्यथा अमेरिका और उसके सहयोगी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन की वार्ता में मुफ्त में ऐसी सूचना पर अधिकार क्यों मांगते? कोई राष्ट्र या कंपनी या इन दोनों का कोई समूह अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार 'आंकड़े' को अपने वश में करके अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण कर सकता है। एक देश या एक कंपनी किसी अन्य देश के संसाधनों को अपने हित में शोषण कर सकता है।

'आंकड़ों के गणितीय मॉडल' और डिजिटल तकनीक के गठजोड़ से गैरबराबरी और गरीबी बढ़ सकती है और लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। 'संवेदनशील सूचना' के साइबर बादल (कंप्यूटिंग क्लाउड) क्षेत्र में उपलब्ध होने से देशवासियों, देश की संप्रभुता व सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। किसी भी डिजिटल पहल के द्वारा अपने भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के ऊपर किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के तत्वों के द्वारा उपनिवेश स्थापित करने देना और यह कहना कि यह अच्छा काम है, देश हित में नहीं हो सकता है। उपनिवेशवाद के प्रवर्तकों की तरह ही साइबरवाद व डिजिटल इंडिया के पैरोकार खुद को मसीहा के तौर पर पेश कर रहे हैं और बराबरी, लोकतंत्र एवं मूलभूत अधिकार के जुमलों का मंत्रोचारण कर रहे हैं. ऐसा कर वे अपने मुनाफे के मूल मकसद को छुपा रहे हैं. वेब आधारित डिजिटल उपनिवेशवाद कोरी कल्पना नहीं है। यह उसका नया संस्करण है।

भारत के उपनिवेश बनने में सूचना-संचार माध्यम के योगदान पर आम तौर पर निगाह नहीं जाती. काफी समय से साम्राज्यों का अध्ययन उनके सूचना-संचार का अध्ययन के रूप में प्रकट हुआ है। अब तो यह निष्कर्ष सामने आ गया है कि संचार का माध्यम ही साम्राज्य था. सूचना के अर्जन, प्रस्तुतीकरण, वर्गीकरण, प्रसुचीकरण और एकत्रीकरण और एकत्रित सूचना को पढ़ने और उसके आधार पर लिखने के अधिकार से ही साम्राज्य का निर्माण होता रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों के माध्यम को अपने संचार के लिए प्रयोग करने और 'निजी संवेदनशील सूचना' आधारित बॉयोमेट्रिक यूआईडी/आधार संख्या योजना के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई देश और देशवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक सोचे-समझे ब्लू प्रिंट के हिसाब से ब्रिटेन, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों की आंकड़ा खनन कंपनियां लोकतंत्र को अनजाने-असाध्य रोग के जंजाल में कैद करती जा रही हैं.

इन खुलासों से यह स्पष्ट हो गया है कि आंकड़ों वाली कंपनियों और उनके विशेषज्ञों में और अपराध जगत के माफिया तंत्र के बीच मीडिया में परिष्कृत प्रस्तुतिकरण का ही फर्क है। चुनावी भ्रष्टाचार और निजी संवेदनशील सूचना की नींव पर गढ़े गये मनोवैज्ञानिक ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। इस पर नकेल कसने के लिए कानून बनाने में देर हो चुकी है।

नहीं कहता, वे ऐसे मामलों में अपने तईं कार्रवाई नहीं करेंगी। ऐसे में, हमारे लिए यह अच्छा मौका है कि हम इन कंपनियों के दायित्वों को लेकर कानूनी प्रावधान की समीक्षा करें। इसी तरह, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बतौर डाटा संग्रहकर्ता इन कंपनियों के पास ऐसे अधिकार नहीं हों कि वे किसी भी भारतीय की निजी जानकारियों का अनधिकृत इस्तेमाल कर सकें।

यह उस भारतीय की निजता के लिए ही नहीं, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा व अखंडता के लिए भी जरूरी है।

मुश्किल यह है कि हमारे देश में डाटा की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कानून नहीं हैं। यहां तक कि डाटा और व्यक्तिगत निजता को समर्पित कोई भी खास कानून हम अब तक नहीं बना पाए हैं। यह हाल तब है, जब सर्वोच्च अदालत ने निजता के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार माना है। अच्छी बात है कि भारत ने डाटा सुरक्षा को तवज्जो देते हुए एक कमिटी बनाई है। उम्मीद है कि यह कमिटी मौजूदा समस्या पर भी गौर करेगी और इस संदर्भ में उपयुक्त सिफारिश करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि हमें 'डाटा के स्थानीयकरण' की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीयों का डाटा वाकई काफी मायने रखता है, पर इस सवाल का तार्किक जवाब नहीं है कि भारतीयों का डाटा देश की सीमा के भीतर ही क्यों रहना चाहिए?

आज तमाम 'इंटरमीडियरी' के लिए भारतीय कानून, जिसमें साइबर कानून भी शामिल है, का पालन करना जरूरी होना चाहिए, फिर चाहे वे स्थानीय कंपनियां हों अथवा विदेशी।

अगर वे इसका पालन नहीं करतीं, तो उन्हें दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा करने का सिद्धांत बहुत सरल है। अगर सर्विस देने वाली कंपनियां भारत को अपना कार्य-क्षेत्र बनाती हैं, तो उन्हें न सिर्फ भारतीय कानून का सम्मान करना चाहिए, बल्कि भारतीय उपयोगकर्ताओं की संवेदनशीलता भी समझनी चाहिए। इसी तरह, हमारे नीति-नियंताओं को चुनावी प्रक्रिया के बुनियादी स्वभाव को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए भी एक समग्र नजरिया अपनाना चाहिए। आज की दुनिया में, जब 'डाटा अर्थव्यवस्था' एक प्रचलित रवायत बन चुकी हो, तो यह जरूरी है कि हम डाटा की सुरक्षा को लेकर सख्त प्रावधान बनाएं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में तत्काल संशोधन करने की जरूरत है, ताकि यह उभरती चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम हो।

हमें मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत है। भारत बड़ी आबादी वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर कंपनी भारतीय बाजार में उतरना चाहती है। बेशक भारतीय बाजार दुनिया भर की तमाम कंपनियों का बांह खोलकर स्वागत करता है, पर यह समझ जरूर विकसित होनी चाहिए कि संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा भारतीय कानून और विशेषकर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 व इसके तहत बनाए गए तमाम प्रावधानों का पालन किया जाए। सवाल सिर्फ कानून को मजबूत करने का नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का भी है। आज 'इंटरमीडियरी' कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चुनौतियों से भरी होती है। लिहाजा यह संदेश देना जरूरी है कि भारत व भारतीयों का डाटा सभी परिस्थितियों मे सुरक्षित व संरक्षित करना ही होगा। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर हैं कि वह कैसे भारतीय उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारियों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ती है, और चुनावी प्रक्रिया को किस तरह इन कंपनियों से प्रभावित होने से बचाती है। स्पष्ट है, आने वाले दिन दिलचस्प होने वाले हैं।

GS World
Committed To Excellence

जुकरबर्ग के जवाब से उपजे सवाल (अमर उजाला)

पिछले शुक्रवार की रात फेसबुक ने एक ब्लॉग प्रकाशित कर जब यह कहा कि उसने डाटा के दुरुपयोग के कारण कैंब्रिज एनालिटिका को निलंबित कर दिया है, तभी साफ हो गया था कि यह फेसबुक की निजता से संबंधित कोई नए तरह का कांड है। इसके अगले दिन ही द न्यूयॉर्क टाइम्स और लंदन के द आब्जर्वर ने भी इससे संबंधित लेख प्रकाशित किए थे। अमेरिकी कांग्रेस ने जहां इसकी जांच शुरू कर दी है, वहीं फेसबुक के उपयोगकर्ताओं ने एक तरह की बगावत कर दी है। अपने 14 वर्ष के इतिहास में फेसबुक एक अभूतपूर्व संकट में फंस गया है।

पांच दिन की चुप्पी के बाद फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग आखिरकार फेसबुक पोस्ट के साथ सार्वजनिक हुए और बाद में उन्होंने मुझे और टाइम्स की मेरी सहयोगी शीरा फ्रैंकल को एक इंटरव्यू भी दिया। हमें जुकरबर्ग से फोन पर बात करने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए, पर हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में सफल रहे। मसलन, कैंब्रिज एनालिटिका का विवाद, फेसबुक की लचर डाटा नीति, थर्ड पार्टी डेवलपर की पहुंच को रोकने की उसकी कवायद, ऐसे यूजर को जानकारी देना, जिनके डाटा का दुरुपयोग किया गया, चुनाव में दखलंदाजी और एक वैश्विक ताकत के रूप में फेसबुक की जिम्मेदारियां। लेकिन इन मुद्दों पर जुकरबर्ग के जवाबों ने और नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, फेसबुक के बिजनेस मॉडल, जोकि विज्ञानपदाताओं और डेवलपर्स को फेसबुक उपभोक्ताओं की निजी डाटा को बेचने पर आधारित है, के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उनका जवाब।

'क्या फेसबुक का बुनियादी आर्थिक मॉडल, जिसमें उपभोक्ता फेसबुक को डाटा प्रदान करते हैं और जिसे फेसबुक विज्ञानपदाताओं और डेवलपर्स को संभावित उपभोक्ताओं और यूजर्स तक पहुंच बनाने के लिए बेचता है, क्या आप महसूस करते हैं कि यह मॉडल काम करेगा, खासकर तब, जब हम इसके जोखिम के बारे में जान चुके हैं?'

इस पर जुकरबर्ग का जवाब था, 'यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विज्ञापन मॉडल के बारे में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारे मिशन से जुड़ी हुई है। हमारा मिशन एक ऐसे समुदाय का निर्माण करना है, जो दुनिया में सबके लिए हो और दुनिया और करीब आए। और इसका सबसे अहम पक्ष है, एक ऐसी सेवा का निर्माण करना, जिसका खर्च लोग वहन कर सकें। इसलिए इसे मुफ्त रखना और ऐसा बिजनेस मॉडल अपनाना, जो विज्ञापन समर्थित हो। क्या अब ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता है, जिसके जरिये वे भिन्न तरीके से भुगतान कर सकें? हम मानते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि विज्ञापन आधारित मॉडल नहीं चलेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं सोचता हूं कि एक ऐसी सेवा का होना महत्वपूर्ण है, जिसका दुनिया में हर कोई उपयोग कर सके और इसका एकमात्र

डाटा के खेल में मोहरा! (दैनिक जागरण)

अगर आप किसी गुफा में नहीं रह रहे हैं, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप इस खबर से अनजान नहीं हो सकते, जिसने कमोबेश हम सभी को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया का मंच फेसबुक, जिसके जरिये हम अपने दोस्तों और परिजनों के संपर्क में रहते हैं, इन दिनों गहन निगरानी के दायरे में है। दुनिया के तीन सर्वाधिक प्रसिद्ध अखबार-द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और द ऑब्जर्वर में प्रकाशित खबरों ने यह खुलासा किया है कि एक अंतरराष्ट्रीय डाटा कंसल्टेंसी कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका ने, जो उपभोक्ताओं के व्यवहार बदलने में व्यावसायियों और राजनीतिक दलों की मदद करता है, करोड़ों फेसबुक उपयोगकर्ताओं के डाटा पर हाथ साफ किया है।

ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि फेसबुक ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ऐसा 'ऐप' बनाने की अनुमति दी थी, जो उपयोगकर्ता के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में जानकारी एकत्र कर सकती थी। इसने कई देशों में कथित रूप से चुनावों को प्रभावित करने में भी भूमिका निभाई। कैंब्रिज एनालिटिका की भूमिका भारत में भी संदिग्ध है, आरोप लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दलों ने चुनावी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया।

आखिर इसका हमारे और आपके जीवन के साथ क्या संबंध है? इसका संक्षिप्त उत्तर है-बहुत ज्यादा। भारत में सोशल मीडिया की पहुंच अपेक्षाकृत कम है, देश की कुल आबादी का करीब बीस फीसदी हिस्सा ही फेसबुक का इस्तेमाल करता है और इस देश में अब भी दसियों हजार गांव ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या भारत में 24 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है और आज फेसबुक के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता भारत में ही हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग चौबीसों घंटे आभासी साझाकरण मोड में आ गए हैं। डाटा सुरक्षा को लेकर हमारे यहां जागरूकता का बिल्कुल अभाव है। वे सभी चीजें हम अपने उन आभासी मित्रों के साथ साझा करते हैं, जिनमें से कुछ के साथ हम सिर्फ एक बार मिले हैं या कभी नहीं मिले हैं। जाहिर है, ऐसे में कोई तीसरा पक्ष इन चीजों का इस्तेमाल कर ही सकता है। नए फेसबुक एकाउंट में गोपनीयता संबंधी सेंटिंग में डिफॉल्ट आपके मित्र को आपकी कुछ जानकारियां तीसरे पक्ष के ऐप के साथ साझा करने का मौका देती है और संभव है कि आपको या आपके मित्र को इसकी कोई सूचना न हो कि क्या हो रहा है। और साझा किए गए डाटा आपके प्रोफाइल पोस्टों से परे जाता है, जिसमें आप कब लॉग ऑन रहते हैं इसकी जानकारी के साथ मित्रों की सूची के विवरण भी शामिल होते हैं।

फिलहाल सबका ध्यान फेसबुक पर केंद्रित है, लेकिन बुनियादी

GS World
Committed To Excellence

रास्ता यह है कि इसे बहुत सस्ता या फिर मुफ्त होना चाहिए।'संकीर्णता से सोचें, तो शायद यह सही है कि मुफ्त होने और विज्ञापन पर आधारित होने के कारण फेसबुक ने अरबों लोगों को अपनी सेवाओं से जोड़ने में सफलता हासिल कर ली है। फेसबुक ने खुद को सस्ता और खुद तक आसान पहुंच बनाए रखने के लिए कई तरह के रास्ते निकाल रखे हैं।

लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस नजरिये का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है। खासतौर से म्यांमार जैसे देश में, जहां हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने फेसबुक पर रोहिंग्या के खिलाफ नस्लीय हिंसा भड़काने के आरोप लगाए। लिहाजा फेसबुक तक पहुंच को कुछ नियंत्रित करना सकारात्मक हो, भले ही इसकी वजह से फेसबुक को अपने कुछ उपयोगकर्ता क्यों न गंवाने पड़ें। और फिर यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा ही होगा। दुनिया भर में लोग तो अपने सेलफोन और डाटा प्लान के लिए भुगतान कर ही रहे हैं और शायद अपने पसंदीदा सोशल नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए कुछ शुल्क देने को भी राजी हो जाएं।

सब्सक्रिप्शन मॉडल (शुल्क आधारित) अपना लेने भर से फेसबुक की सारी समस्याएं हल नहीं हो जाने वाली हैं। इसके बावजूद बाहरी एजेंसियां चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं, जनमत को प्रभावित करने के लिए गलत खबरें और विभाजनकारी सामग्री प्रसारित करवा सकती हैं। लेकिन विज्ञापन आधारित मॉडल को त्यागने से फेसबुक का दुरुपयोग करना कठिन हो जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन आधारित मंचों पर नेटवर्क बहुत प्रभावी नहीं रह जाएगा। फेसबुक ने नया मॉडल अपनाने की इच्छा जताई है। व्हाट्सएप कारोबार समूहों से अपने उत्पाद से संबंधित संदेशों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के एवज में शुल्क लगाकर कमाई करता है। इसी हफ्ते फेसबुक ने कहा है कि वह प्रयोग के तौर पर सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल शुरू करेगा, जिसमें लोकप्रिय क्रिएटर अपनी पोस्ट तक पहुंच के लिए प्रति माह पांच डॉलर (यानी करीब सवा तीन सौ रुपये) शुल्क ले सकता है। यदि फेसबुक अपनी सारी सेवाओं के लिए महीने में पांच डॉलर शुल्क लेने लगे और अपने नेटवर्क से विभाजनकारी और दुरुपयोग की जा सकने वाली विज्ञापन श्रेणियों और व्यवहार को हटा दे तो? क्या उपयोगकर्ता विद्रोह कर देंगे और क्या किसी अन्य मुफ्त सोशल मीडिया ऐप का रुख कर लेंगे? क्या फेसबुक विज्ञापन से मिलने वाली आय के बिना ध्वस्त हो जाएगा?

शायद ऐसा हो सकता है। इस साल की इस सबसे बड़ी चुनौती से हम कुछ सीख सकते हैं, तो वह यह कि फेसबुक नेटवर्क जितना बड़ा होता जाएगा, उसकी समस्याएं उतनी ही जटिल होती जाएंगी, पर इन समस्याओं से निपटने की उसकी क्षमता बहुत सीमित है। संभव है कि जुकरबर्ग इन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, पर यह तब तक नहीं सुलझ सकती, जब तक कि वह अपने बिजनेस मॉडल की कोई काट नहीं ढूंढ लेते, जोकि अभी उपयोगकर्ताओं के निजी डाटा पर टिका है। टेम्प्लेट (ढांचा) सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। अपने पुराने मित्रों और परिवार के साथ वास्तविक समय बिताने के बजाय जब आप जान-बूझकर या गलती से अपनी छुट्टी की अंतरंग जानकारियां साझा करते हैं, कि आपने दोपहर में क्या खाया, आप किससे मिले, आप काम करने के लिए कहां जाते हैं, आप किस होटल में ठहरे हैं, तो आप वास्तव में डाटा-व्यवसाय के एक बड़े खेल में खुद को मोहरा बनाकर पेश करते हैं।

इसके कई परिणाम होते हैं। पहली बात तो यह कि अगर आप आभासी दुनिया के किसी मित्र पर ज्यादा समय खर्च करते हैं, तो आपके वास्तविक जीवन के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि को आप भले मुफ्त समझते हों, लेकिन ये भी वास्तव में मुफ्त नहीं हैं। उनका व्यावसायिक मॉडल उन सभी सूचनाओं का उपयोग करता है, जिन्हें आप और हम, अपने, हमारे मित्रों, परिवारों के बारे में मुफ्त में डाल रहे हैं। यह डाटा बन जाता है और संभावित रूप से व्यावसायिक एवं अन्य उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अथवा जैसा कि किसी ने कहा है, यदि आप उत्पाद के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो आप उत्पाद हैं।

तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपना मोबाइल और इंटरनेट बंद कर दें और उन दिनों में पहुंच जाएं, जब कोई आभासी बातचीत या दोस्ती नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं। हालांकि मोबाइल और इंटरनेट बंद कर देने को नई पीढ़ी किसी दूरस्थ पहाड़ी गुफा में छिपने के समान ही समझेगी, जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं होती।

फेसबुक को लेकर चल रहे इस विवाद का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि हम सतर्क रहें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर हम क्या साझा कर रहे हैं और उसके संभावित असर क्या होंगे। और हमेशा इस बात को लेकर जागरूक रहें कि ऐसी एजेंसियां भी हैं, जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगी तथा आपको एक निश्चित तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए विवश करेंगी। यही नहीं, ये एजेंसियां आपके बारे में छोटी से छोटी जानकारियां हासिल करने के लिए भी काफी मेहनत कर रही हैं।

डाटा एक नया ईंधन है-इस बात को अपने संबंध में जानकारी साझा करते वक्त कभी न भूलें। हमें सूचना के वैश्विक आदान-प्रदान से काफी फायदा होता है, जिसे फेसबुक और अन्य इंटरनेट फ्लेटफार्म संभव बनाते हैं। लेकिन याद रखने की जरूरत है कि ये प्लेटफार्म पहले की तुलना में हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं-हमारे करीबी दोस्त कौन हैं- से लेकर हम सोशल मीडिया पर कौन-सी टिप्पणी करते हैं, हम कौन-सी खबर पढ़ते हैं, कौन-सा पेज हम पसंद करते हैं तथा और भी बहुत कुछ। जैसा कि टेक्नोलॉजी गुरु विवेक वधावा हमें याद दिलाते हैं कि प्रौद्योगिकी से अद्भुत चीजें संभव हैं, लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। हमें इसके जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बिठाना है।

GS World
Committed To Excellence

साख का सवाल (जनसत्ता)

फेसबुक उपयोगकर्ताओं से जुड़ी सूचनाएं और जानकारियां चोरी होने और उनके बेजा इस्तेमाल की जो घटना सामने आई है, उसने न केवल सरकार बल्कि सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय रहने वालों की नींद उड़ा दी है। फेसबुक को लेकर भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इसका पता तब चला जब अमेरिका में वहां की संघीय व्यापार एजंसी ने फेसबुक के खिलाफ जांच शुरू की। यूरोपीय देशों में भी जांच शुरू हुई। ऐसे आरोप हैं कि केंब्रिज एनालिटिक नाम की कंपनी ने फेसबुक के पांच करोड़ अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की गोपनीय सूचनाएं चोरी कर उनका इस्तेमाल ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जिताने में किया। इसी तरह 'ब्रेक्जिट' के वक्त ब्रिटेन ने भी इसका इस्तेमाल किया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह फेसबुक उपयोगकर्ताओं के साथ छल नहीं है? अगर कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल कर चुनाव जीते जाते हैं तो इससे राजनीतिक व्यवस्था भी कठघरे में खड़ी होती है।

डाटा चोरी करने वाली कंपनी केंब्रिज एनालिटिक कई देशों के लिए इस तरह की चुनाव संबंधी सेवाएं देने का काम करती है। कंपनी का भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, केन्या, ब्राजील जैसे देशों में कारोबार है। डाटा चोरी का खुलासा होने के बाद कंपनी ने अपने सीईओ को हटा दिया है। फेसबुक के सीईओ ने भी इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। इस घटना से फेसबुक की साख को गहरा धक्का लगा है। दुनिया में भारत दूसरा देश है जहां बीस करोड़ लोग फेसबुक पर हैं। फेसबुक कंपनी कठघरे में इसलिए है कि वह अपने ग्राहकों की निजता की सुरक्षा नहीं कर पाई। डाटा-चोरी ने भारत की राजनीति में भी भूचाल-सा पैदा कर दिया है। इस हकीकत पर से पर्दा उठा है कि कैसे विदेशी कंपनियों के जरिए सोशल मीडिया के डाटा का इस्तेमाल चुनावी हवा बनाने-बिगाड़ने के लिए किया जाता रहा है। कैसे जनता को अंधेरे में रखा जाता है। चुनाव में शोध, सर्वे, रायशुमारी, विज्ञापन, प्रचार जैसे कामों के लिए राजनीतिक दल इस तरह की एजंसियों को ठेके देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। केंद्र सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों इसके लपेटे में आ गए हैं।

सरकार का आरोप है कि कांग्रेस के केंब्रिज एनालिटिक से संबंध हैं और अगले आम चुनाव के लिए वह इसकी सेवाएं लेने की तैयारी में है। दूसरी ओर, सरकार के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि सन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (एकी) ने इस कंपनी की सेवाएं ली थीं। आरोपों-प्रत्यारोपों के बरक्स लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वह है विश्वसनीयता का। फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं निजता के लिए, यह अब सब समझ गए हैं। साथ ही, राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हमारी निजी और गोपनीय सूचनाओं का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं यह भी अब किसी से छिपा नहीं है। हालांकि सरकार ने फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सवाल है कि जो सरकार हजारों करोड़ रुपए डकार भाग जाने वालों को वापस ला पाने में लाचार साबित हो रही है, वह डाटा चोरी करने वाले वैश्विक चोरों से कैसे निपटेगी? यह सूचनाओं का युग है, जिसमें डाटा से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। ऐसे में कैसे इसकी सुरक्षा हो और लोगों में भरोसा बना रहे, यह गंभीर चुनौती है।

क्या है मामला?

- कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप है कि उसने एक क्विज एप (This is your digital life) की मदद से फेसबुक यूजर्स का डाटा हासिल किया।
- एप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के फेसबुक मित्रों तक भी कैम्ब्रिज एनालिटिका पहुँच गई।
- फ्रेंड लिस्ट में शामिल इन यूजर्स से पूछे बिना कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उनका फेसबुक डाटा हासिल किया।
- कंपनी ने इसके लिये व्यक्तित्व संबंधी आकलन बताने वाले एक एप का इस्तेमाल किया जिसे 2.70 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था।
- कंपनी ने एपडाउनलोड करने वाले लोगों तथा उनकी मित्र-सूची के लोगों की जानकारियों का इस्तेमाल किया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी मतदाताओं के व्यवहार का अनुमान लगाना था।
- एप के यूजर्स से कहा गया कि उन्हें एक सामान्य प्रश्नावली के उत्तर देने हैं, जिसका उपयोग शैक्षिक कार्यों के सर्वे के लिये किया जाना बताया गया।

स्विंग वोटर्स

- लोगों की पोस्ट और राजनीतिक पसंद के लिहाज से उनका वर्गीकरण किया गया और करोड़ों मतदाताओं को एक खास दिशा में सोचने के लिये मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के यूजर्स से मिली इस जानकारी का उपयोग 'स्विंग वोटर्स' को प्रभावित करने के लिये किया गया। अनिश्चित मतदाताओं अर्थात् स्विंग वोटर्स ऐसे मतदाताओं को कहते हैं, जिनकी किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती, लेकिन मतदान के दौरान इनके अप्रत्याशित रुझान के चलते चुनाव के नतीजे भी अप्रत्याशित हो सकते हैं।
- ब्रिटेन की कैंब्रिज एनालिटिका कंपनी को सूचनाओं के आधार पर आकलन करने के क्षेत्र में दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में माना जाता है।

कैसे हासिल किया डेटा?

- वोटर प्रोफाइलिंग कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका 2013 में अस्तित्व में आई।
- यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर एलक्जेंडर कोगन की कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च ने यूजर्स डेटा को शेयर करने के लिये कैंब्रिज एनालिटिका से डील की।
- एलक्जेंडर कोगन की कंपनी के बनाए गए एप This is your digita llife ने 2014 में फेसबुक यूजर्स को एक साइकोलॉजिकल क्विज में हिस्सा लेने का झाँसा दिया।
- लगभग 2,70,000 यूजर्स ने इस एप पर जाकर क्विज में हिस्सा लिया, जिनका फेसबुक पर्सनल डेटा कोगन की कंपनी ने एक्सेस कर लिया। साथ ही साथ यूजर्स के फ्रेंड्स के डेटा में भी सेंध लगाई।
- 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अभियान चलाने के लिये इसकी सेवाएँ ली गई।
- इसके लिये रॉबर्ट मर्सर नाम के निवेशक ने कंपनी को 15 मिलियन डॉलर दिये, जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रचारकों के पैनल में शामिल थे।

जाँच

- अमेरिकी अखबार 'संडे गार्जियन' ने कैंब्रिज एनालिटिका के पूर्व कर्मी और व्हिसल ब्लोअर के हवाले से मामले का खुलासा किया। इसमें कई देशों के यूजर्स का डेटा चोरी किया गया।
- जिन यूजर्स की प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत नहीं थी, उनका ही डेटा एक्सेस किया गया।
- अमेरिका में ग्राहकों के हितों की रक्षा से जुड़ी एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने फेसबुक के खिलाफ जाँच शुरू की है कि क्या उसने प्रयोगकर्ताओं के लाखों आंकड़े एक राजनीतिक परामर्श एजेंसी को दिये थे।
- अब तक की जाँच में कंपनी द्वारा हनीट्रैप, फेक न्यूज कैंपेन और पूर्व जासूसों की मदद से चुनावों को प्रभावित करने की बात सामने आई है।
- इसी तरह से ब्रिटेन और यूरोपीय कमीशन में भी फेसबुक के खिलाफ जाँच शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की संसद ने इसे लेकर फेसुबक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा है।

क्या है सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग?

- जब भी आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाते हैं तो दुनियाभर की कंपनियों, ग्रुप्स, राजनीतिक दलों के लिये एक संभावित उपभोक्ता बन जाते हैं।
- लोगों के मूड और रुझान को जानने-समझने के लिये उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की जाती है।
- लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर रखकर उनके बारे में राय बनाई जाती है और उसी के हिसाब से उनसे बात की जाती है।
- ये सभी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग के जरिये आपकी रुचि और पसंद के अनुसार आपको टारगेट करते हैं।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. यह सूचनाओं का युग है, जिसमें डाटा से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। ऐसे में कैसे इसकी सुरक्षा हो और लोगों में भरोसा बना रहे, यह गंभीर चुनौती है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

हाल ही में समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाया जाना चर्चा का विषय बना रहा। इसका व्यापक स्तर पर समानांतर अभिकलन संसाधनों की उपलब्धता एआई की गतिविधि से समान्जस्य बिठाने वाली बेहतर कंप्यूटर प्रणाली का विकास और इंटरनेट से संबंधित प्रचुर आंकड़ों की उपलब्धता का एआई के तीव्र विकास में खास योगदान रहा है। इस मुद्दे से जुड़े हिन्दी समाचार पत्र 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाए जाने के तीन कारक रहे हैं। व्यापक स्तर पर समानांतर अभिकलन संसाधनों की उपलब्धता, एआई की गतिविधि से सामंजस्य बिठाने वाली बेहतर कंप्यूटर प्रणाली का विकास और इंटरनेट से संबंधित प्रचुर आंकड़ों की उपलब्धता का एआई के तीव्र विकास में खास योगदान रहा है। इनके सम्मिलित असर से इमेज लेबलिंग में त्रुटि की दर 2010 के 28.5 फीसदी से घटकर महज 2.5 फीसदी पर आ चुकी है।

पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में एआई का योगदान 15.7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा जो चीन एवं भारत के मौजूदा साझा आउटपुट से भी अधिक होगा। वहीं एक्सेंचर की रिपोर्ट 'रीवायर फॉर ग्रोथ' में कहा गया है कि एआई के चलते भारत की वार्षिक वृद्धि दर में वर्ष 2035 तक 1.3 फीसदी की उछाल आ सकती है। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 957 अरब डॉलर की अतिरिक्त रकम आ जाएगी जो भारत के मौजूदा सकल मूल्य संवर्द्धन का 15 फीसदी होगा।

विकासशील देशों में भारत एआई का अधिकतम लाभ उठा पाने की स्थिति में है। तकनीक के मोर्चे पर हमारी मजबूत स्थिति, अनुकूल जनांकिकीय परिदृश्य और समुन्नत आंकड़ों की उपलब्धता में संरचनात्मक लाभ होने से भारत एआई के लिए कहीं बेहतर तैयार है। दरअसल वैश्विक एआई उपयोगकर्ताओं के लिए भारत के संदर्भ में आंकड़ों की विविधता एक बड़ी बाधा रही है क्योंकि एआई की मौजूदा गणना-पद्धतियों को ईंधन देने का काम आंकड़े ही करते हैं। एआई-आधारित इस्तेमाल सरकारी स्तर पर खास उपयोगी हैं क्योंकि वहां आंकड़ों की बहुलता होने के साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी होती है।

भारत एआई-आधारित स्टार्टअप की संख्या के मामले में वर्ष 2016 में जी-20 देशों के बीच तीसरे स्थान पर था। इस तरह के स्टार्टअप भी वैश्विक स्तर से अधिक वर्ष 2011 के बाद 86 फीसदी बढ़ गए थे। हालांकि यह क्षेत्र प्राथमिक रूप से एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी अमेरिकी कंपनियों के दबदबे में रहा है। इन कंपनियों के नवोन्मेष केंद्र भारत में भी मौजूद हैं।

दरअसल एआई के मामले में नवोन्मेष और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना काफी अहम है। ऐसा नहीं होने पर घरेलू समाधान एवं स्थानीय उद्यमी लगातार बढ़ते अवरोधों का सामना नहीं कर पाएंगे। बड़े नेटवर्कों के सार्वभौम प्रतिरूप होने से कोई भी एआई ऐप्लिकेशन उतना ही अच्छा साबित होता है जितना बेहतर उसका डाटा होता है। लेकिन मौजूदा दौर में डाटा की उपलब्धता कुछ ही कंपनियों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। फेसबुक के सक्रिय मासिक उपभोक्ताओं की संख्या करीब दो अरब है। इसी तरह गूगल इंटरनेट पर होने वाले करीब 90 फीसदी तलाश का माध्यम बना हुआ है।

हालांकि यूपीआई और आधार जैसे नवाचार और मोबाइल फर्स्ट उपयोग के चलते अब हमारे पास बहुत सारे विशिष्ट आंकड़े भी मौजूद हैं। हमारी जरूरतें भी खास तरह की हैं। हमें निजता के संदर्भ में नया नजरिया अपनाना चाहिए ताकि कूटबद्ध बहुपक्षीय गणना जैसी मशीनी सीख को संरक्षित रखा जा सके।

नमओपनमाइंड डॉट ऑर्ग एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कूटबद्ध एवं अनाम आंकड़ों के इस्तेमाल का जरूरी टूल बनाने में लगा है। इस तरह निजी आंकड़े पूरी तरह निजी बने रहेंगे लेकिन मशीनी गणना पद्धति उनसे सबक हासिल कर सकेगी। एआई को अक्सर सरकारें 'सुदूर भविष्य' वाली तकनीक की तरह देखती हैं। सरकारों के अनुसंधान प्रभागों पर ही एआई का जिम्मा छोड़ दिया जाता है। सरकारें कई बार कोई बड़ी पहल करती हैं लेकिन उन योजनाओं को स्थानीय लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाया ही नहीं गया होता है। इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है।

तर्कसंगत मुद्दा यह है कि गुणवत्तापरक प्रशिक्षण डाटा शामिल करने से किसी भी एआई ऐप्लिकेशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में एआई के इस पहलू को समाहित करने लायक बदलाव बौद्धिक संपदा कानूनों में भी करने होंगे। विकासशील देशों को एआई का उपयोग जरूर बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में तो एआई का अधिक उपयोग जरूर करना चाहिए।

नीति आयोग इस तरह के कई प्रोजेक्ट चला रहा है। पहला, आयोग इसरो और आईबीएम के साथ मिलकर फसलों की उपज बढ़ाने और मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने में एआई समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों और सरकार के पास उपलब्ध अन्य

Committed To Excellence

आंकड़ों की मदद से यह किया जा रहा है। इसके असर और सटीकता को जांचने के लिए शुरुआत में इसे देश के 25 जिलों में लागू किया जाएगा। एआई-आधारित जानकारी को किसानों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे जरूरी कदम उठा सकें। आंकड़ों को ई-नाम मंडियों से भी जोड़ा जाएगा जिससे किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

दूसरा, नीति आयोग उद्यमियों और डेवलपरों के लिए क्षेत्रीय भाषा की एआई-निरपेक्ष भाषा प्रसंस्करण लाइब्रेरी बनाने में भी लगा है। प्रधानमंत्री 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का आह्वान कर चुके हैं। लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के साथ ही भाषाई विविधता को संरक्षित रखना भी इसका उद्देश्य है। आयोग एक राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म बनाने की संभावनाएं भी तलाश रहा है।

यह प्लेटफॉर्म एआई ऐप्लिकेशन को देसी भाषाओं पर आधारित पहचान और अस्तित्व निष्कर्ष जैसे काम के लायक बनाने में मददगार होगा। इससे एआई डेवलपर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाली समूची आबादी तक पहुंच बना सकेंगे और उन्हें अलग भाषाओं के लिए अलग मॉडल भी नहीं तैयार करने होंगे।

तीसरा, आयोग तस्वीरों का एक 'बायोबैंक' बनाने के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह बायोबैंक सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे परीक्षणों के दौरान मिली तस्वीरों का संकलन होगा और इसके इस्तेमाल से डॉक्टर बीमारियों का जल्द पता लगा सकेंगे।

ऐसी विशेषज्ञता सुपर-स्पेशिएलिटी अस्पतालों में ही मिल पाती हैं। किसी तस्वीर का स्वत: विश्लेषण करने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर ही गंभीर बीमारियों की पहचान की जा सकेगी। पीएचसी अस्पतालों में बीमारियों के परीक्षण की सुविधाएं काफी कम हैं। बायोबैंक बनने से भारत में रोगों की पहचान और विश्लेषण की क्षमता रखने वाले केंद्र विकसित होंगे जिससे सरकार को भी क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाएं चलाने में सहूलियत होगी।

चौथा, नीति आयोग सुरक्षित ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) तैयार करने का खाका पहले ही बना चुका है। इससे मरीज की निजता बनी रहेगी और लोग अपने मोबाइल फोन पर ही इसे देख सकेंगे। ब्लॉकचेन पर साझा किया जा सकने वाला ईएमआर स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को कई गुना बढ़ा सकता है। इससे स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा का दायरा बढ़ाने, बीमा संबंधी धोखाधड़ी को न्यूनतम करने और सरकारी सब्सिडी में गड़बड़ी को खत्म किया जा सकेगा। कूटबद्ध ईएमआर डाटा को एआई समाधान से जोड़कर महामारी की आशंका और किसी इलाके में ऐंटी-माइक्रोबायल प्रतिरोध की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इस तरह भारत के अलग राज्यों और इलाकों की जरूरतों के आधार पर खास कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे।

पांचवां, हम अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या कम करने के लिए भी एआई के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे हैं। नीति आयोग अदालतों के फैसलों के विश्लेषण का एक एआई मॉडल तैयार कर रहे हैं जिससे न्यायाधीशों को मौजूदा मामलों के बारे में अंतर्ज्ञान मिल सकेगा। अदालतों में तीन करोड़ से भी अधिक मामले लंबित हैं और कारोबारी सुगमता की रैंकिंग भी इससे प्रभावित हो रही है। एआई एक बुनियादी नवाचार है। यह आगे चलकर इंटरनेट या बिजली के उपयोग से कहीं अधिक बड़ा होगा। यह हरेक उद्योग और क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लेकर आएगा। भारत को अपनी पूरी क्षमता से इसे अपनाना चाहिए।

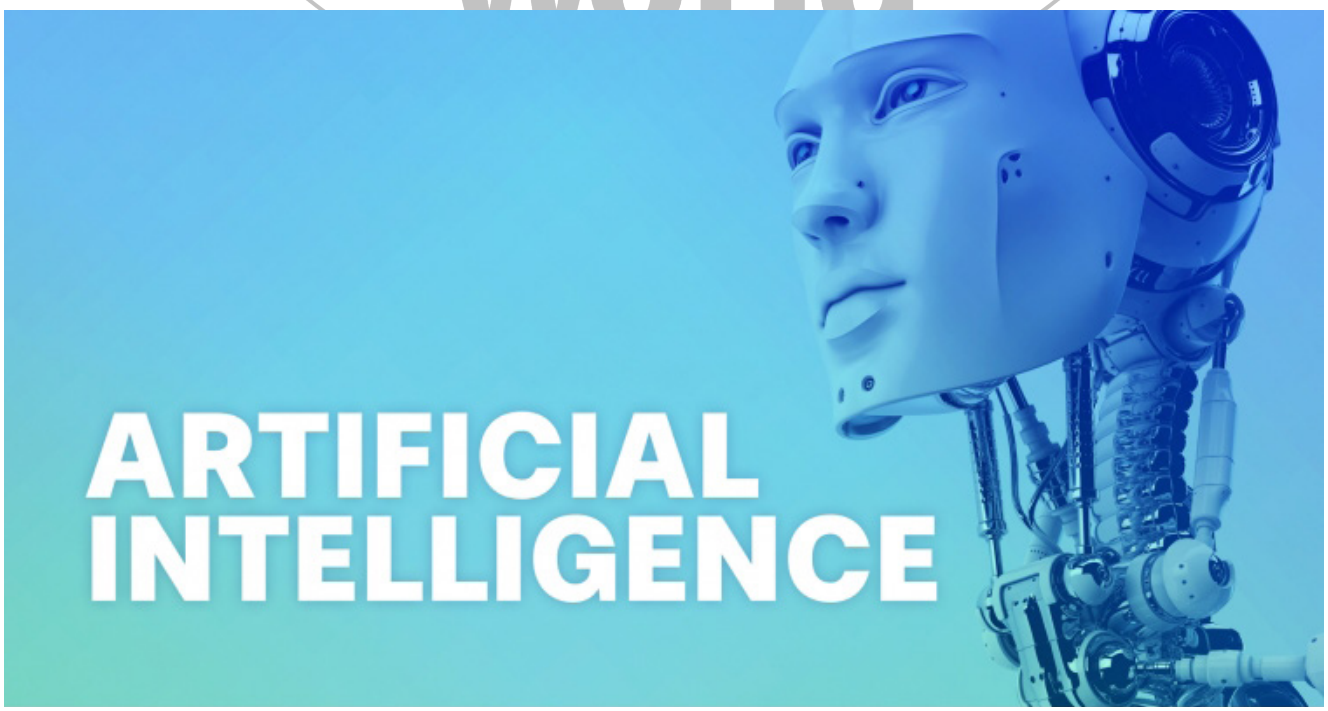

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी (कृत्रिम) तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता।
- इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।
- यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता।

पृष्ठभूमि

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिये 10-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये श्एल्वीश नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी श्एस्प्रिटश नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों, जैसे-टमतल स्तहम ैबंसम प्दजमहतंजमक सर्किट का विकास करने के लिये एक संघ 'माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी' की स्थापना की।
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (छाप्च) की रूपरेखा तैयार करेगा। इसके पहले चीन ने अपने त्रिस्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर वह वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुआ बनने की सोच रहा है।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएँ

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशवावस्था में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किये जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है।
- सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिये एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिये कुछ बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके नियम-कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे।
- सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि आदि इसके लिये उपयुक्त क्षेत्र हो सकते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग

- कंप्यूटर गेम
- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
- प्रवीण प्रणाली
- दृष्टि प्रणाली
- वाक् पहचान
- बुद्धिमान रोबोट
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार
- पूर्णत: प्रतिक्रियात्मक
- सीमित स्मृति
- मस्तिष्क सिद्धांत
- आत्म-चेतन

संभावित प्रश्न

प्रश्न. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) से आपका क्या अभिप्राय है? इसे स्पष्ट करते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभावों पर चर्चा करें।

सुनवाई से आस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक-ए-विद्दत यानि तीन तलाक के बाद अब बहु विवाह और निकाह हलाला की संवैधानिकता पर सुनवाई करने को राजी हो गया है। अब एक बार फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाओं पर सुनवाई संविधान पीठ करेगा। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'जनसत्ता' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

तलाक-ए-बिद्दत यानी तीन तलाक मामले में अपने फैसले के सात महीने बाद सर्वोच्च न्यायालय अब बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिकता पर सुनवाई करने को राजी हो गया है, तो यह पिछले फैसले की ही तार्किक कड़ी है। पिछले साल अगस्त में दिए अपने फैसले में संविधान पीठ ने तीन तलाक प्रथा को गैर-कानूनी ठहराया था। अब एक बार फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाओं पर सुनवाई संविधान पीठ करेगा। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि मुसलिम पर्सनल लॉ (शरीअत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला करार दिया जाए। मुसलिमों से संबंधित निजी कानून मुसलिम पुरुष को चार स्त्रियों तक से विवाह करने की अनुमति देता है। ऐसी इजाजत स्त्री की गरिमा के खिलाफ है, उसे वस्तु या इंसान से कमतर प्राणी में और पुरुष को उसके मालिक के रूप में बदल देती है। यह संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक प्रावधानों के भी खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण ढंग से जीने के अधिकार की बात कही गई है। ऐसे ही प्रावधानों के खिलाफ होने के कारण जिस तरह तलाक-ए-बिद्दत पर हमेशा सवाल उठते रहे, उसी तरह एक से अधिक शादी करने की इजाजत और निकाह हलाला पर भी उठते रहे हैं।

मुसलिम समुदाय में हलाला या निकाह हलाला की रस्म के तहत, जिस व्यक्ति ने तलाक दिया है उसी से दोबारा शादी करने के लिए महिला को पहले किसी अन्य पुरुष से शादी करनी होती है और फिर तलाक लेना होता है, उसके बाद ही दोबारा पूर्व पति से शादी हो सकती है। शरीअत में भले यह एक तरह की 'सजा' हो, लेकिन क्या पूर्व पत्नी की तरह पूर्व पति के लिए भी ऐसी शर्त रखी गई है? और फिर जब अलग हो चुके दो बालिग फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी और निर्णय काफी होना चाहिए। उन्हें किसी सजा से क्यों गुजरना पड़े? और 'सजा' के रूप में औरत के लिए ऐसी शर्त, जो उसके शरीर पर उसका अधिकार नहीं रहने देती! जाहिर है, ऐसी प्रथाओं को निजी कानून की आड़ में नहीं चलने दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुता निकाह और मिस्यार निकाह को भी सुनवाई के योग्य माना है, क्योंकि इनके तहत बस एक निश्चित अवधि के लिए शादी का करार होता है। क्या इसे शादी कहा जा सकता है? तलाक-ए-बिद्दत पर बहस के दौरान ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मामले को न्यायिक समीक्षा के परे कहा था। उसकी निगाह में ऐसे मामले में अदालत में सुनवाई होना धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप था। यह अलग बात है कि अलग-थलग पड़ जाने के कारण बोर्ड ने बाद में अपने सुर नरम कर लिए थे। हो सकता बोर्ड और कुछ दूसरी संस्थाएं एक बार फिर वैसी ही दलील पेश करें।

यह सही है कि हमारे संविधान ने धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी दे रखी है, पर यह असीमित नहीं है। धार्मिक स्वायत्तता उसी हद तक मान्य हो सकती है जब तक वह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक नागरिक अधिकारों के आड़े न आए। सती प्रथा, नरबलि और जल्लीकट्टू जैसी प्रथाओं के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर चुका है। इसलिए बहुविवाह, निकाह हलाला, मुता निकाह और मिस्यार निकाह पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने के उसके फैसले को समुदाय-विशेष की धार्मिक आजादी और परंपरा या रिवाज में बेजा दखलंदाजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे समानता तथा न्याय के लिए मुसलिम स्त्रियों के संघर्ष के नए मुकाम के रूप में देखना ही सही नजरिया होगा।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिये अपनी सहमती दे दी है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द)

Committed To Excellence

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिये सहमत होते हुये इस संबंध में दायर याचिकाओं पर केन्द्र और विधि आयोग से जवाब मांगा।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस दलील को स्वीकार किया कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले में तीन-तलाक को खत्म करते हुए बहुविवाह और निकाह हलाला के मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा था।

क्या है निकाह हलाला?

- निकाह हलाला वह प्रथा है जिसमें शौहर द्वारा तलाक दिए जाने के बाद उसी शौहर से दोबारा निकाह करने से पहले महिला को एक अन्य व्यक्ति से निकाह करके उससे तलाक लेना होता है। उसके बाद ही महिला का पूर्व शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है।

क्या है बहुविवाह प्रथा?

- इस्लामिक प्रथा में बहुविवाह का चलन है। इस प्रथा के तहत, एक आदमी को चार शादियाँ करने की इजाजत होती है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अगर कोई औरत विधवा है या बेसहारा है तो उसे सहारा दिया जाए। समाज में ऐसी औरतों को बुरी नजर से बचाने के लिये उनके साथ शादी करने की इजाजत दी जाती है।

क्या है मुता एवं मिस्यार निकाह?

- मुता एवं मिस्यार निकाह के अंतर्गत 'मेहर' (यह वो रकम होती है जो किसी लड़की के होने वाले शौहर द्वारा उसे तोहफे के तौर पर दी जाती है। इस मेहर को न तो वापस लिया जा सकता है और न ही माफ करने के लिये लड़की पर दबाव ही डाला जा सकता है) तय करके एक निश्चित अवधि के लिये एक-साथ रहने का लिखित करार किया जाता है।
- इस निश्चित समयावधि के पूरा होने पर निकाह स्वत: समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात् महिला को तीन महीने की इद्दत अवधि बितानी होती है।

कानून का उल्लंघन

- ध्यान दिया जाये तो ये चारों प्रथाएं भारत के संविधान के अलग-अलग अनुच्छेदों का उल्लंघन करती हैं।
- उनके मुताबिक अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, उनका बराबर दर्जा प्राप्त है। लेकिन, इसका उल्लंघन इस तरह हो रहा है कि पुरुष चार शादी कर सकता है, लेकिन महिलाएं नहीं कर सकतीं।
- अनुच्छेद 15 कहता है भारत में लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इन प्रथाओं की वजह से हिंदू और मुस्लिम महिला के अलग-अलग अधिकार हैं। साथ ही पुरुष और महिलाओं के अधिकार में भी अंतर है।
- अनुच्छेद 21 कहता है कि सबको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अश्विनी के मुताबिक, 'चार शादी करेंगे तो पुरुष का प्यार बंट जाएगा। आप किसी का ज्यादा सम्मान करेंगे तो किसी का कम। इसलिए यह प्रथा नहीं कुप्रथा है।'
- अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन यह आज तक लागू नहीं हुआ है।
- इसी को अधिकार बना कर याचिकार्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल मामले की सुनवाई की तारीख तय नहीं है।

पृष्ठभूमि

- कुछ महीने पहले जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए इसे इस्लाम विरोधी बताते हुए स्पष्ट किया था कि वह धार्मिक दायरे में दखलंदाजी किये बिना इस कुप्रथा को मजहबी कानून का हिस्सा नहीं मानता। इसके बावजूद यह कुप्रथा जारी है जिसे रोकने के लिये सरकार एक कठोर कानून लाने पर विचार कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था?

- उत्तराखंड में काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो ने मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को दो शादियों से बचाने में असफल रहा है।
- इस तथा अन्य याचिकाओं पर 22 अगस्त, 2017 को दिये गए अपने 395 पृष्ठीय 3-2 के बहुमत से दिये गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक ही बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 साल पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के पक्ष में फैसला दिया था।
- इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून, 1937 की धारा-2 में दी गई एक बार में तीन तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया था।
- तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने वर्ष 2002 में शमीम आरा मामले का हवाला देते हुए कहा था कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है; और जो बात धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, उसे वैध कैसे कहा जा सकता है? उल्लेखनीय है कि शमीम आरा मामले में भी 'तीन तलाक' को अवैध माना गया

क्यों जरूरी है कानून?

- इस मुद्दे पर यूँ तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही संदेश देने को पर्याप्त है, लेकिन फिर भी इसे और मजबूती देने के लिये कानून बनाना भी जरूरी है।
- जब संविधान पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी तब सरकार ने कहा भी था कि यदि अदालत तीन तलाक को अवैध ठहराएगी तो वह जरूरत पड़ने पर इसके लिये अलग से कानून बनाएगी।
- संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है।
- इस निर्णय के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह मुस्लिमों के लिये कुरान-आधारित फैमिली लॉ बनाए, जैसा 1950 के दशक में हिंदू परिवारों के लिये बनाया गया था।

इन देशों में बैन है तीन तलाक

- विश्व में सबसे पहले मिस्र में 1929 में वहां की अदालत ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया था। इसी वर्ष सूडान की अदालत ने भी तीन तलाक को बैन कर दिया था। 1947 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान ने 1956 में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी और 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हुए बांग्लादेश ने 1985 में संविधान में संशोधन कर तीन तलाक को बैन कर दिया था। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के अलावा इराक, सीरिया, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, तुर्की और यूएई में भी तीन तलाक पर रोक है।

नौकरशाही : जिम्मेदारी और संवेदनशीलता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के रिश्ते हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। किसी भी देश में सुचारु प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार नौकरशाही की आवश्यकता होती है। आज के दौर में कर्मठता, ईमानदारी और संवेदनशीलता को लेकर नौकरशाही पर सवाल उठने लगे हैं। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' एवं 'पत्रिका' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

नौकरशाही की जिम्मेदारी का दायरा, तटस्थता और प्रतिबद्धता के रूप में दो विकल्प (दैनिक जागरण)

दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के रिश्ते हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। इन रिश्तो में समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से उतार-चढ़ाव के अलग अलग दौर रहे हैं। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान नौकरशाही का स्वरूप और प्राथमिकताएं कुछ अलग थीं। आजादी के बाद उनमें धीरे-धीरे बदलाव लाया गया। परिणामस्वरूप आजाद मुल्क में नौकरशाही के काम करने का अपना एक तरीका बना। आजादी के बाद उसे काम करने की काफी कुछ आजादी दी गई। इसके अलावा उसकी सेवा शर्तों को बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि नौकरशाह किसी भी प्रकार के अनावश्यक दबाव में न आएं। नौकरशाही को केवल सरकार के अनावश्यक दबाव से ही बचाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जनता या फिर निहित स्वार्थों के दबाव को भी उनसे परे रखने की कोशिश की गई। पारंपरिक तौर पर नौकरशाही का यह भारतीय मॉडल बहुत कुछ नौकरशाही के मैक्स वेबेरियन मॉडल के करीब था जो नौकरशाही के तटस्थ रहने की बात करता है। इसमें सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करने की सलाह दी जाती है।

इसके विपरीत नौकरशाही का प्रतिबद्ध मॉडल नौकरशाही से सरकार की नीतियों के अनुरूप चलने की बात करता है। भारत में 1975 के आपातकाल तक तो नौकरशाही के तटस्थ रहने की बातें की जाती थी, लेकिन आपातकाल के दौरान सरकारी अधिकारियों से सरकारी नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाने लगी। दरअसल तबसे ही देश मे तटस्थ और प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवध ारणा में घालमेल शुरू हो गया। इस घालमेल के चलते सत्ताधारी दलों और नौकरशाहों ने अपने-अपने हिसाब से खूब उलटबाजियां की हैं।

नौकरशाही : कहां गुम हो गई संवेदनशीलता? (पत्रिका)

किसी भी देश में सुचारू प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार नौकरशाही की आवश्यकता होती है। आज के दौर में कर्मठता, ईमानदारी और संवेदनशीलता को लेकर नौकरशाही पर सवाल उठने लगे हैं। यह आम धारणा बन गई है कि देश को चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, नौकरशाही चला रही है तथा रोजमर्रा के कामों में होने वाली देरी एवं बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए नौकरशाही ही जिम्मेदार है। अंग्रेजों ने इस देश में नौकरशाही के कामकाज का तरीका इस प्रकार का बनाया था कि कोई मनमर्जी नहीं कर सके। प्रत्येक फैसले का पूरा रिकार्ड रखा जाता था। ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं फैसले के अहम बिन्दुओं व मुद्दों को छुपाया नहीं जा सके। नौकरशाही को असहमति का अधिकार था पर अनुशासनहीनता, अनादर व अवहेलना का नहीं।

स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षो में इस देश के प्रशासनिक अधि कारियों ने इस शासन व्यवस्था को बनाये रखा। बाद के दौर में राजनीतिक दलों एवं नेताओं के कार्य-व्यवहार व आचरण में गिरावट के मुताबिक नौकरशाही के कामकाज का तौर-तरीका भी बदलने लगा। प्रशासनिक सुधार के संबंध में अनेक आयोग बने लेकिन उनकी रिपोर्ट भी ठंडे बस्तों में रह गई। या तो इनकी सिफारिशों को तवज्जो ही नहीं दी गई या फिर आधी-अधूरी पालना की गई। चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण में भी खामियां रहीं। सामाजिक सोच, समाज के प्रति प्रतिबद्धता व जिम्मेदारी की भावना, योग्यता का मापदंड नहीं रहे।

अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारयों की जवाबदेही तय करने के लिए नए आधारों की बात करते हुए योग्य अधिकारियों के चयन एवं पदोन्नति के युक्तिसंगत तरीके अपनाने पर जोर दिया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ती जा रहीं है। नियम-कायदे आम आदमी के लिए नहीं रहे। नियम

GS World
Committed To Excellence

जहां राजनीतिक दल अपनी अलग-अलग विचारधाराओं के आधार पर वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच बंटे रहे वहीं नौकरशाही को भी तटस्थता और प्रतिबद्धता के रूप में दो विकल्प मिल गए हैं। इस तरह नौकरशाहों द्वारा अपनाए गए गए विकल्पों के आधार पर नौकरशाही की मौटे तौर पर तीन श्रेणियां बन गईं। पहली श्रेणी के नौकरशाह सत्ताधारी दल के साथ मिलकर चलने वाले हुए, जिन्हें सरकार बदलने से कोई फर्क नही पड़ता और जो दल राजनीतिक दल सत्ता में आया उसके साथ वे आंख बंद करके हो लिए। दूसरी श्रेणी में तटस्थता को अपना आदर्श मानकर चलने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। जबकि तीसरी श्रेणी बीच का रास्ता अपनाने वाले हैं। इन्हें मौकापरस्त नौकरशाह के तौर पर भी जाना जाता है। आम धारणा यह है कि ऐसे नौकरशाहों की बन आई है। देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से कभी तटस्थ तो कभी प्रतिबद्ध बन जाते हैं। एक समय पश्चिम बंगाल के नौकरशाहों को वामपंथी नीतियों के प्रति आसक्त पाया जाता था, लेकिन जब वे केंद्रीय सत्ता के तहत काम करते थे तो वे तत्कालीन सरकार की नीतियों के अनुपालन में लग जाते थे। शायद यही कारण है कि कई राज्यों में सत्ता बदलते ही नौकरशाही के रंग-ढंग बदलते नजर आने लगते हैं। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नौकरशाही का कौनसा मॉडल सबसे उपयुक्त है? इसे लेकर तरह-तरह के तर्क- वितर्क दिए जाते हैं और कई बार नौकरशाहों के मामलों को लेकर बहस कुछ ज्यादा ही विवादास्पद हो जाती है। इस तरह के विवादों की परवाह न करते हुए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर नौकरशाही का अस्तित्व है किसके लिए?

यदि नौकरशाही स्वयं अपने लिए अर्थात अपने में ही साध्य है तब फिर उसे जो कानून-कायदे बने हुए हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। नि:संदेह इसमें लकीर का फकीर बने रहना भी शामिल है। कुछ नौकरशाह आज भी इस परिकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब इनकी संख्या दिनों-दिन घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि सरकारों के एजेंडे में रुकावट बनने पर नौकरशाहों को एक कोने मे बैठा दिया जाता है। दूसरी तरफ नौकरशाही का प्रतिबद्ध मॉडल है। आजकल यही ज्यादा प्रचलन में भी है। ऐसी नौकरशाही के पक्षधर यह दलील देते हैं कि नौकरशाही स्वयं मे साध्य नहीं है, बल्कि सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का साधन मात्र है और उसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के कामकाज मे अड़ंगा नहीं बनना चाहिए। इस सिलसिले में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों की जनता के प्रति जवाबदेही का तर्क दिया जाता है और यहां तक कहा जाता है कि सरकारों को तो हर पांच साल में जनता के बीच जाना होता है जबकि नौकरशाही के लिए ऐसी किसी जवाबदेही की बाध्यता नहीं है। हालांकि नौकरशाह भी अपने-अपने तरीके से स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह ठहराने में पीछे नहीं हैं। वैसे तो इस बारे में सबके अपने-अपने तर्क हैं, लेकिन तथ्य यह है कि केवल तर्कों से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ नहीं किया जा सकता। इसके लिए कम-से-कम इस बात पर तो सहमत होना ही पड़ेगा कि चाहे सरकार हो या नौकरशाही, वह है तो जनता के लिए ही। जब अब्राहम लिंकन ने सदियों पहले लोकतंत्र की परिभाषा 'जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था' के रूप में दी थी तो उसके केंद्र मे भी जनता-जनार्दन को ही रखा गया था। इसलिए सबसे जरूरी है जन-कल्याण, जिसकी उपेक्षा न कोई निर्वाचित सरकार कर सकती है और न ही नौकरशाही का कोई भी मॉडल।

राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र के आधार पर जन समर्थन पाते हैं और जिन नीतियों को जनता का समर्थन प्राप्त हो उनके मार्ग में किसी के भी बाधा बनने का कोई औचित्य नहीं है। यदि किसी राजनीतिक दल ने एक रुपये किलो चावल अथवा टीवी या स्कूटी देने का वादा किया है और इन वादों के दम पर वह दल सत्ता में आ गया है और वह अपने इन वादों को पूरा भी करना चाहता है तो ऐसे में नौकरशाही के पास जनभावना के अनुरूप न चलने का विकल्प नहीं रह जाता है। ऐसे वादों को पूरा करने के लिए संसाधनों के प्रबंध में आने वाली कठिनाइयों के बारे में राजनीतिक नेतृत्व को साफ-साफ बताना नौकरशाही की जिम्मेदारी जरूर है ताकि सरकार को आर्थिक स्थिति के बारे मे किसी प्रकार का मुगालता न रहे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को भी परिपक्वता के साथ वस्तुस्थिति के बारे में सुनने का साहस होना चाहिए। यदि समन्वय का अभाव होगा तो संतुलन बिगड़ेगा और फिर मामला हाथापाई तक भी जा सकता है। राजनीतिक नेतृत्व को यह याद रखना ही होगा कि जनता ने उन्हें किसलिए जनादेश दिया है और जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है?

ऊपर से नीचे तक सरकारी सिस्टम में तबादलों व पदस्थापन में राजनीतिक दखल भी बड़ी समस्या है। नौकरशाही को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। जरूरी यह भी है कि विभिन्न विभागों में समन्वय कायम किया जाए। राजनेताओं व नौकरशाहों को यह अहसास कराना होगा कि सत्ता उनमें निहित नहीं है बल्कि आम जनता में है और वे सत्ताधारी नहीं है अपितु जनसेवक हैं।

कायदों, उचित-अनुचित, आवश्यक-अनावश्यक व न्याय-अन्याय को स्वेच्छा से परिभाषित किया जा रहा है। पटवारी से लेकर एसडीओ तक राजस्व कानूनों की जानकारी व कानून-व्यवस्था संबंधी प्रावधानों की जानकारी का अभाव कई परेशानियां खड़ी करने वाला रहता है।

GS World
Committed To Excellence

भारत के लोक प्रशासन में मूल नैतिक समस्या भ्रष्टाचार की है, परंतु उसके साथ ही कुछ अन्य नैतिक समस्याएँ/मुद्दे भी लोक-प्रशासन को प्रभावित करते हैं। वे अन्य मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- रूढ़िवादिता और अभिजात वर्गीय मानसिकता वाले सिविल सेवक और ब्रिटिश शासन की ऐसी परम्पराएँ।
- शक्ति, सत्ता व प्राधिकार का अत्यन्त विषमतापूर्ण ढाँचा होना।
- नौकरशाही पर अनैतिक राजनीतिक दबाव व उनकी कार्यशैली में अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप।
- भारतीय नौकरशाही के राजनीतिकरण से नौकरशाही में तटस्थता की भावना का अभाव।
- उचित कार्य-संस्कृति का अभाव।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही जैसे मूल्यों की कमी।
- 'व्हिसल ब्लोअर' की सुरक्षा के उचित प्रबंधों का अभाव।

निश्चित तौर पर उपरोक्त नैतिक समस्याएँ/मुद्दे हमें चिंतित करते हैं। इन समस्याओं के निराकरण या इन्हें न्यूनतम करने के लिए लोक-प्रशा. सन में नैतिकता का समावेशन बहुत आवश्यक है। लोक-प्रशासन में निम्नलिखित उपायों/तरीकों से नैतिकता को समाहित किया जा सकता है-

- भावी प्रशासकों (ट्रेनी) के मूल्यात्मक एवं नैतिकतापरक प्रशिक्षण पर बल देकर।
- उनमें परानुभूति के भावों को विकसित करने का प्रयास करके।
- लोक-प्रशासकों के लिये आचार-संहिता का निर्माण कर, उसका पालन सुनिश्चित करके।
- डिजिटलाइजेशन, ई-गवर्नेन्स आदि द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता द्वारा सुशासन की नींव रखकर।
- राजनीतिक हस्तक्षेपों से नौकरशाही को मुक्त करके।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला एक मजबूत तंत्र विकसित कर, जो गैर-जिम्मेदार प्रशासकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके।

देश के विकास में सिविल सेवकों की भूमिका और चिंताएँ

- उपनिवेशीय युग में नौकरशाहों को प्रायः निरंकुश शासन के लिये इस्तेमाल किया जाता था। वे कर वसूली करने वाले और सरकार के आदेशों को लागू कराने वाले के रूप में जाने जाते थे। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में जिला प्रशासकों को 'कलेक्टर' के रूप में ही देखा जाता है। इस सोच को, जो व्यापक रूप से फैली हुई है, जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है।
- लोगों को चाहिये कि वो नौकरशाहों को इस नजर से देखें कि ये वे लोग हैं जो उनके सुख और कल्याण के लिये काम करते हैं। प्रत्येक लोक सेवक के पास यह अवसर होता है कि वह अपने कार्यकाल दौरान करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित कर सके।
- एक ऐसी शक्ति का होना, जो लोगों के जीवन को बदल सकती हो, बड़े सौभाग्य की बात है। ध्यातव्य है कि हमारे जैसे देश में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा दयनीय जिन्दगी जी रहा है और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, लेकिन हमारे पास सिविल सेवा के रूप में एक ऐसी शक्ति है जो उनकी दुर्दशा को ठीक कर सकती है।
- लेकिन यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इस सौभाग्य को बोझ में न बदलने दिया जाए। इसलिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर नौकरशाह अपने भीतर एक स्वाभाविक और सहज सुख की स्थिति में रहे। जब तक हम खुद अपने भीतर एक सुख की स्थिति में न हों, तो कैसे हम औरों की जिन्दगी छू सकते हैं?
- हमारी नौकरशाही के जनविमुख, असंवेदनशील और भ्रष्ट होने का मतलब है कहीं न कहीं हमारे देश में नौकरशाहों की चयन प्रक्रिया में दोष है। यही वजह है कि विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगों द्वारा समय-समय पर चयन प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु सिफारिश की जाती रही है। इसका एकमात्र मकसद है कि बदलती घरेलू और वैश्विक संरचना में भारतीय प्रशासकों की भूमिका भी बदल रही है जिसके अनुकूल चयन प्रणाली होनी चाहिये।
- आज यह एक गंभीर प्रश्न है कि देश को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कुशल प्रशासक कैसे मिलें? कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो कई जनहित के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं। सिविल सेवकों को न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर के संबंध में भी अपनी कुशल भूमिका निभानी होती हैद्य लेकिन हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी वांछित नौकरशाही समूह विकसित नहीं कर पा रहे हैं।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. किसी भी देश में सुचारू प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार नौकरशाही की आवश्यकता होती है। किंतु वर्तमान समय में कर्मठता, ईमानदारी और संवेदनशीलता को लेकर नौकरशाही पर सवाल उठने लगे हैं। इस कथन का विश्लेषण करें।

रूस में राष्ट्रपति चुनाव : पुतिन की जीत

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक अभूतपूर्व प्रवृत्ति उदीयमान है, जो विचारणीय है। महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहे रूस में व्लादिमीर पुतिन को फिर छह साल के लिए राष्ट्रपति पद पर लगातार चौथी बार आसान जीत दर्ज की। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'प्रभात खबर', 'दैनिक ट्रिब्यून' एवं 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

पुतिन की जीत के मायने (प्रभात खबर)

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक अभूतपूर्व प्रवृत्ति उदीयमान है, जो विचारणीय है। संसार की तीन प्रमुख बड़ी शक्तियों में, जिनकी पारंपरिक पहचान 'महाशक्ति' के रूप में है, सर्वोच्च नेता की ताजपोशी निरंकुश तानाशाह के रूप में की गयी है।

अमेरिका में अप्रत्याशित जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्वच्छंद आचरण हो या चीन में शी जिनपिंग के आजीवन अपने पद पर बने रहने के फैसले पर वहां की साम्यवादी पार्टी का मुहर लगाना हो, ये बातें इसी संदर्भ में चर्चित रही हैं. अब रूस में व्लादिमीर पुतिन के लगभग निर्विरोध एक बार फिर चुने जाने से यह 'हैट ट्रिक' पूरी हो गयी है। हमारी समझ में पुतिन की जीत इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

जहां अमेरिका में ट्रंप का विरोध करनेवाले व्यक्ति मुखर हैं और उनके 'असंवैधानिक' फैसलों को अदालत ने निरस्त किया है, वहीं चीन या रूस में असहमति का स्वर मुखर करनेवाले विपक्षी की जान खतरे में रहती है।

स्वतंत्र मीडिया के अभाव में 'असंतुष्ट तत्वों' को जनता को संबोधित करने का अवसर ही नहीं मिलता. चीन और रूस को जो बात अलग करती है, वह यह है कि चीन पारंपरिक रूप से किसी करिश्माई महामानव के एकाधिपत्य को सहज भाव से स्वीकार करता आया है और उसकी कन्फ्यूशियाई सांस्कृतिक विरासत अंतर्मुखी तथा विदेशियों को बर्बर समझनेवाली रही है। इसकी तुलना में रूस में जारशाही से आज तक राजशाही या साम्यवादी पार्टी का प्रतिरोध करने की लंबी परंपरा है। जहां चीन के समाज की पहचान नस्ली समरसता को प्रतिबिंबित करती है, वहीं यूरेशियाई रूस अलगाववादी उपराष्ट्रीयता की जटिल चुनौतियों से जूझता रहा है।

जहां चीन खुद को सभ्यता का आदर्श मानता है, रूस पश्चिमी यूरोपीय आधुनिकता को अनुकरणीय मानता रहा है। लेनिन और स्तालिन का साम्यवाद देशज नहीं था, जबकि माओ का साम्यवाद मार्क्सवाद-लेनिनवाद को सैद्धांतिक-व्यावहारिक शीर्षासन कराता नजर आता रहा. चीन में सर्वशक्तिमान सम्राट सरीखे नेता की परंपरा में निरंतरता झलकती है, जबकि पुतिन के संदर्भ में यह एक बुनियादी परिवर्तन का संकेत है।

पुतिन की जीत (दैनिक ट्रिब्यून)

महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहे रूस में व्लादिमीर पुतिन को फिर छह साल के लिए राष्ट्रपति पद पर लगातार चौथी आसान जीत पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव एकतरफा था। मतदाताओं के उत्साह में कमी नजर आ रही थी, फिर भी मतदान प्रतिशत सम्मानजनक स्कोर तक पंहुचा। फिर भी वह अपने पूर्ववर्तियों से खासे आगे हैं। कह सकते हैं अपने 18 साल के कार्यकाल में पुतिन अपने तर्कों के सहारे रूसी जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। इसने सामाजिक असंतोष को दबाने में पुतिन सरकार की कठोर कार्रवाइयों पर पर्दा डालने का भी काम किया। लोकतंत्र को भी फलने-फूलने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। सत्ता पर पकड़, राजनीतिक नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने जैसी चुनौतियां पुतिन के सामने आएंगी पर अभी तो क्रेमलिन में उनका साम्राज्य काफी मजबूती से खड़ा है। यह भारत के लिए भी अच्छी खबर होनी चाहिए। हमें एशिया के हालात के मद्देनजर अपनी पुरानी मित्रता को पुनर्जीवित करना पड़ सकता है क्योंकि पश्चिम की तरफ उसका झुकाव अब आकर्षण खो रहा है। वॉशिंगटन उत्तर कोरिया के साथ बातचीत को सफल बनाना चाहता है। इसके लिये चीन पर दबाव बनाने के लिए उसे भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद थी, अब इसमें उसकी रुचि नहीं है।

अब तो अमेरिका भारत के साथ व्यापार युद्ध में उतर चुका है। उसने डब्ल्यूटीओ में भारत की पूरी व्यापार नीति पर सवाल उठाया है। पुतिन राज के परिवर्तनों के आधार पर कह सकते हैं कि उनकी रुचि में अब एशिया की ओर बढ़ने के संकेत हैं। तेल और गैस के क्षेत्र में सहभागिता को लेकर रूस की बढ़ती रुचि को भारत ने पहले ही अनुभव कर लिया है। भारत और रूस बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्लांट बनाने के अपने ढंग की अनूठी साझेदारी में पहले से ही सम्मिलित हैं। रूस की नीतियों में अगले 6 साल तक रहने वाला स्थायित्व भारत को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त अभियान चलाने व संयुक्त उपक्रम लगाने का अवसर देता है। पुतिन जब तक पश्चिमी देशों के घेरे में हैं, भारत अनुकूल शर्तों पर साझेदारी कर सकता है। भारत और रूस के बीच जितनी अधिक घनिष्ठता होगी, पश्चिमी देश भारत को उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे।

Committed To Excellence

पुतिन ने जब पहली बार सत्ता ग्रहण की थी, वह 'नौजवान' थे और यह अपेक्षा स्वाभाविक थी कि भ्रष्ट संगठित अपराधियों से पार्टी और देश को मुक्त कराने के बाद वह जनतंत्र का सूत्रपात करेंगे तथा जिस कायाकल्प को पूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचौव ने शुरू किया था, उसे वह गतिशील बनायेंगे. यह तमाम आशाएं निर्मूल सिद्ध हो चुकी हैं. यह सच है कि रूस आज टूट की कगार पर या दिवालिया नहीं दिखायी देता, पर इस उपलब्धि के लिए रूसियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।

रूसी साम्यवादी पार्टी का क्षय हो चुका है और जनतंत्र के बीजारोपण की कोई संभावना शेष प्रतीत नहीं होती. इसे आप रूसियों का आंतरिक मामला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने अपने शासनकाल में जिस उत्कट देश-प्रेम की भावना को भड़का कर एकता, अखंडता और सामरिक राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है, उसका प्रभाव बाकी दुनिया पर पड़े बिना नहीं रह सकता.

याद रखने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल का पहला बरस ही अभी पूरा किये हैं और शी जिनपिंग के भी दस साल ही पूरे हुए हैं. इनकी तुलना में व्लादिमीर पुतिन 2000 से सत्तारूढ़ हैं. अर्थात वह अपनी छाप अपने देश और दुनिया पर इन समकालीन निरंकुश समझे जानेवाले नेताओं की तुलना में कहीं गहरी छोड़ चुके हैं. उनके शासनकाल में रूस की यूरेशिया पहचान धुंधली हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि रूस आज यूरोपीय बिरादरी के करीब है।

पुतिन के यूरोपमुखी होने का अर्थ सोवियत साम्राज्य के उपग्रहों यानी पूरबी यूरोप के राज्यों को फिर से अपने प्रभाव क्षेत्र में खींच कर लाना है। यूक्रेन और क्रीमिया में उनका सैनिक हस्तक्षेप इसी रणनीति का उदाहरण है। पुतिन के तेवर पूंजीवादी पश्चिमी ताकतों के नेता अमेरिका से मुठभेड़ को बढ़ावा देनेवाले ही नजर आते रहे हैं. स्वदेश में भले ही पुतिन ने साम्यवादी पार्टी को कमजोर बनाया है, अंतरराष्ट्रीय राजनय में वामपंथी सरकारें उन्हें स्वाभाविक साझीदार लगती हैं, चाहे वह लातीनी अमेरिकी वेनेजुएला ही क्यों न हो. चीन ने उनकी जीत पर बधाई देते हुए रूस के साथ सहकार को घनिष्ठ करने की आशा व्यक्त की है।

पश्चिम एशिया में सीरिया गृहयुद्ध में जोखिम भरा हस्तक्षेप करने से पुतिन हिचकिचाये नहीं, जिसका यही नतीजा निकाला जा सकता है कि वह रूस के राष्ट्रीय हित को इस इलाके की तेल की राजनीति से गहरा जुड़ा मानते हैं और यहां अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं. अमेरिकी चुनाव में खुफिया हस्तक्षेप हो या ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस की हत्या, पुतिन की कार्य-शैली अक्सर चौंकानेवाली रही है।

विडंबना यह है कि इतने महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रति भारत उदासीन रहा है। कुछ समय तक यह बेकरारी रही कि क्यों हमारा संधिमित्र पाकिस्तान को सैनिक साजो-सामान बेच रहा है, फिर हम निश्चिंत बैठ गये।

आज बदले रूस के लिए भारत के साथ विशेष रिश्ता सामरिक या आर्थिक महत्व का नहीं रह गया है। भारत यह आशा नहीं कर सकता है कि चीन या पाकिस्तान के संदर्भ में हमारे हितों में अनिवार्य संयोग या सन्निपात है। अतीत के साझे की मधुर स्मृतियां भविष्य में किसी काम की नहीं. इस नाते दूरदर्शी विचार-विमर्श परमावश्यक है।

पुतिन के बाद का रूस (राष्ट्रीय सहारा)

पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। उनका राष्ट्रपति बनना अपने आप में कोई खबर नहीं थी। यह सब कुछ पूर्व निर्धारित था। विपक्ष की दीवार पहले ही ध्वस्त की जा चुकी थी। पुतिन का कद समय के साथ निरंतर बरगद की पेड़ की तरह फैलता चला गया। इतना व्यापक बन गया कि एक चयनित राष्ट्रपति सम्राट का रूप अख्तियार कर लिया। उनके शब्द रूस में सिद्धांत बनाने लगे। 2012 के चुनाव में जो पत्र पुतिन ने लिखे थे, वो नीतियां बन गई। जैसा कि चीन के राष्ट्रपति के साथ कुछ महीने पूर्व हुआ। पुतिन का राजनीतिक कद अपने देश में किसी भी नेता से बड़ा है। इस बार उनको मत भी पहले से ज्यादा मिले। 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 52.9 प्रतिशत मत मिले थे, जबकि इस बार 24 प्रतिशत से ज्यादा की छलांग लगा कर 76.67 तक पहुंच गया। कारण तो इसके कई थे। रूस में बहुलवादी पार्टी की व्यवस्था है, लेकिन मूलत: 4 महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण सत्तारूढ़ दल यूनाइटेड रूस है, जो पुतिन द्व ारा बनाई गई पार्टी है। अन्य दलों के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध है। टीवी में वही दिखाया जाता है, जो पुतिन को पसंद है। पुतिन के इशारों के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप रूस में कोई भी व्यक्ति लगातार दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 81 भाग 3 के अनुसार दो बार लगातार राष्ट्रपति बनने की बात है। लेकिन इसकी सरल व्याख्या से इस बात का पता चलता है कि भविष्य में वह पुन: राष्ट्रपति बन सकता है। जैसा कि पुतिन ने 2012 में किया। 2000 से 2008 तक पुतिन दो बार राष्ट्रपति रहने के बाद 2008 में अपने अत्यंत ही विश्वसनीय सहयोगी दिमित्री मेदेवदेव को राष्ट्रपति बना दिया। फिर 2012 में खुद राष्ट्रपति कि कुर्सी के अपने कब्जे में कर लिया। 2011 में संवैधानिक सुधार द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया अर्थात अब पुतिन 2024 तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर डटे रहेंगे। इस दौरान रूस में कोई राजनीतिक अस्थिरता की आशंका भी नहीं है। रूस और दुनिया के सामने प्रश्न यह नहीं है कि पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बने बल्कि 2024 के बाद क्या होगा? क्या पुतिन संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन करते हुए संन्यास लेंगे या संविधान संशोधन के जरिए सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद रखेंगे। पूछे जाने पर कि क्या आप पांचवीं बार भी राष्ट्रपति बनेंगे तो पुतिन का कहना था कि वह 100 वर्षो तक सत्ता में नहीं रहना चाहते। 2024 में पुतिन की उम्र 72 वर्ष हो जाएगी। राजनीतिक अखाड़े में 72 का उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। इस बात की

GS World
Committed To Excellence

'अपने घर' की ओर लौटती दुनिया (नई दुनिया)

कुछ दिन पूर्व जब रूस में हुए चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को चौथी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो इस पर किसी को ज्यादा हैरत नहीं हुई और न ही इस खबर ने दुनियाभर में ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। दरअसल, उनकी जीत तो प्रत्याशित ही थी। इस जीत से पुतिन रूस में जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले शख्स हो जाएंगे। रूस के बारे में माना जाता है कि वहां बहुदलीय लोकतंत्र है। लेकिन इसके शीतयुद्धकालीन आलोचकों को छोड़कर और कोई भी 'दूसरी पार्टियों के प्रति सहानुभूति नहीं दर्शा रहा है। रूसी जनता और दुनियाभर में रूस पर नजर रखने वाले लोग वास्तव में यही सोच रहे हैं कि पुतिन अपने चौथे कार्यकाल के बाद आगे कौन सा पद संभालेंगे? न भूलें कि सत्ता के सूत्र अपने हाथ में रखने के लिए पुतिन राष्ट्रपति के तौर पर दो कार्यकाल के बाद खुद प्रधानमंत्री बन गए थे और दिमित्रि मेदवेदेव को अपनी जगह राष्ट्रपति बनवा दिया था।

बहरहाल, यहां पर एक बात और गौरतलब है कि पुतिन के पुनः चुने जाने के कुछ हफ्ते पूर्व ही चीन में शी जिनपिंग को 'आजीवन राष्ट्रपति चुन लिया गया। यदि पुतिन ने कुछ ही लोगों द्वारा शासित बहुदलीय व्यवस्था को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, तो शी ने चीन में वर्ष 1950 से बगैर किसी चुनौती के सत्ता चला रही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चीन के संविधान में राष्ट्रपति के दो कार्यकाल संबंधी प्रावधान में संशोधन पारित करवा लिया। जैसा कि कहते भी हैं ख़ 'झुकती है दुनियाङ्घ!

मजबूत नेताओं को एक साथ कई चीजें संभालना भी आना चाहिए। क्या हम नहीं देखते कि एक ओर मोदी भारत के किसी मेहमान राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में वार्ता भी करते हैं और उसी दिन अपनी पार्टी के लिए किसी राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करने भी पहुंच जाते हैं।

विरोधी चीजों को संभालना नेतृत्व की चुनौतियों का हिस्सा है। राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रचार अभियान के दौरान पुतिन ने खुलेआम यह घोषणा की कि रूस ऐसे 'अजेय परमाणु हथियार विकसित करने की सोच रहा है, जो फ्लोरिडा तक मार कर सकें। यह सीधे-सीधे अमेरिका का तिरस्कार था। पुतिन ने चुनाव अभियान के दौरान पश्चिम के खिलाफ खूब आग उगली। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन कर बधाई दी। जबकि उनकी सरकार ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि रूस ने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ जीतने में मदद की थी।

बहरहाल, इस वक्त जहां तकनीक दुनिया को आपस में समेटते हुए इसे एक वैश्विक गांव में तब्दील कर रही है, वहीं इंसान इसके उलट कर रहा है। वह इसी दुनिया को बांटते हुए अलग-अलग 'राजनीतिक बस्तियों में तब्दील कर रहा है। पुतिन के पश्चिम-विरोधी बयान उनकी उसी राष्ट्रवादी छवि का हिस्सा हैं, जिससे वे अपने देशवासियों को लुभाते हैं।

ट्रंप ने 2016 का चुनाव 'अमेरिका फर्स्ट के आधार पर जीता और वे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दौर में बनी व्यवस्था व संबंधों को खतरे में डालते हुए ऐसा कर रहे हैं। वे भले ही भारत को लुभाना चाहते हों और मोदी से गलबहियां पूरी उम्मीद है कि किसी पद पर आसीन होकर पुतिन सत्ता को अपने पास रख सकते हैं। कई देशों में ऐसा हुआ भी है। चीन इसका ज्वलंत उदाहरण है। रूस के लिए पुतिन की राजसत्ता मुसीबत नहीं है, बल्कि पुतिन के बाद क्या होगा, यह विचारणीय विषय है। रूस की राजनीति में पुतिन की हैसियत मध्ययुगीन राजशाही या साम्यवादी व्यवस्था के दौरान जनरल सेक्रेटरी से कम नहीं है। वर्तमान में संसद के अध्यक्ष वोइडिन ने 2014 में कहा था, अगर पुतिन जब तक हैं, तब तक रूस है, अगर पुतिन नहीं तो रूस भी नहीं। एक अन्य सिद्धांतकार ने यह कहा कि ''पुतिन ही रूस हैं, और रूस ही पुतिन है' व्यक्ति पूजा की परंपरा रूस में पहले भी थी, लेकिन 1990 के बाद जब उदारवादी लोकतंत्र की शुरु आत के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस बात की विवेचना जरूरी है कि पुतिन के बाद रूस की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी? किस तरह की चुनौतियों को झेलना पड़ेगा? क्या लोकतंत्र जिंदा रहेगा या फिर तानाशाही की शुरु आत होगी? लेकिन उसके पहले इस बात की चर्चा भी जरूरी है कि पुतिन एक चयनित राष्ट्रपति से सम्राट कैसे बन गए? यह कैसे हो गया कि पुतिन ही रूस हैं, रूस पुतिन के बिना कुछ भी नहीं। उल्लेखनीय है कि 1989 के बाद से निरंतर रूस में राजनीतिक उथल-पुथल बनी रही, घनघोर आर्थिक संकट का दौर था। अचानक साम्यवादी राजनीतिक तंत्र लोकतांत्रिक ढांचे में बदल गया। येल्तसिन अमेरिकी प्रभाव में घुटने टेक चुके थे। नाटो का वर्चस्व पूरी तरह से रूस को कमजोर बना रहा था। रूस जिल्लत और पश्चिमी दबाव में था। ऐसे माहौल में एक युवक देश का राष्ट्रपति बनता है, जो यह कहने कि हिम्मत रखता हो कि वह रूस की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलवाएगा। पुनः रूस को दुनिया की निर्णायक शक्ति बनाएगा। पुतिन ने ऐसा करके दिखया भी। 2014 में क्रिमिया को रूस में मिला लिया। अमेरिका सहित पश्चिमी देश चिल्लाते रहे लेकिन पुतिन ने इसकी कोई परवाह नहीं की। यही कारण था कि रूस की संसद ने पुतिन को राष्ट्रीय नेता की संज्ञा दी। सीरिया में भी पुतिन ने अमेरिकी नीतियों का विरोध करते हुए असद को सैनिक सहायता प्रदान की। रूसी फौजें सीरिया में आज भी तैनात हैं। रूस ने अमेरिकी विश्व व्यवस्था के विपरीत रास्ता बनाया। यही कारण था कि रूस में पुतिन हीरो के रूप में पूजे जाने लगे। पुतिन की पकड़ रूस की हर नब्ज पर हो गई। चूंकि रूस की कुल आर्थिक व्यवस्था का 75 प्रतिशत राज्य व्यवस्था द्वारा संचालित होता है, चूंकि राज्य पूरी तरह से पुतिन की कब्जे में है, तो हर तंत्र भी पुतिन के अधीन है। अब प्रश्न यह है कि पुतिन के बाद कर राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी। इतिहास इस बात का गवाह है। अजब संयोग है। 1924 में जब लेनिन का देहांत हुआ

करते हों, लेकिन उन्होंने भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा पाना और भारतीय कंपनियों व बीपीओ आदि के लिए वहां काम करना काफी मुश्किल कर दिया है।

शी भी अपनी बातों और कृत्यों से विरोधाभास फैला रहे हैं। एक ओर वे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का मकसद दुनिया को आपस में जोड़ना और इसे समृद्ध बनाना (अकथनीय रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करना) बताते हैं, वहीं घरेलू मोर्चे पर उनकी सोच धुर राष्ट्रवादी है। उन्होंने खुलेआम कहा कि 'वे चीन की संप्रभुता और इसकी एक-एक इंच जमीन की हर हाल में रक्षा करेंगे।

यह संदेश खासकर भारत के लिए था, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर चुका है। भारत ने भी इसी तर्ज पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन के शब्दों में यह जता किया कि भारत और चीन, न तो दोस्त हैं और न दुश्मन! वे तो 'दोस्त-दुश्मन हैं।

इतिहास बताता है कि अफ्रीका व एशिया का ज्यादातर इलाका योरपियों के आने से पहले तक सीमायी विभाजनों से अछूता था। योरपीय पहले इन इलाकों में व्यापारी और फिर औपनिवेशिक शासकों के तौर पर पहुंचे। उन्हें इन इलाकों को सीमाओं में बांटना और यहां रहने वाले लोगों को नस्लीय, क्षेत्रीय व धार्मिक आधार पर बांटना सहज लगा। इस प्रक्रिया के चलते 'देशभक्त नेता उभरे, जिन्होंने पहले इन औपनिवेशिक शासकों के लिए काम किया, फिर वे उनसे लड़े और आजादी हासिल की। लेकिन सीमायी विभाजन बरकरार रहे, यहां तक कि हिंसा के जरिए भी नई सीमाएं निर्मित की गई।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया ने उपनिवेशों की मुक्ति का दौर देखा, जिससे पश्चिमी औपनिवेशिक शासकों की ताकत घटी। उस प्रक्रिया से पं. जवाहरलाल नेहरू से लेकर मिस्र के जमाल अब्देल नासेर जैसे युवा नेता उभरे। ऐसे ज्यादातर नेताओं ने अपनी नई व पुरानी राष्ट्रीय पहचान को कायम रखते हुए दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच स्थापित की।

1980 के दशक में जब शीतयुद्ध का तनाव चरम पर था, तब अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन को और ब्रिटेन ने मार्गरेट थैचर को चुना, जो कि संरक्षणवाद की लहर पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचे थे। आज के दौर में दुनिया के अनेक देशों में संरक्षणवादी रवैया अब कहीं ज्यादा तीक्ष्ण व जटिल हो गया है। ट्रंप, पुतिन और शी के अलावा आज फिलीपींस में रोड्रिगो दुतेर्ते हैं, हंगरी में विक्टर ऑरबन, इंडोनेशिया में जोको विडोडो, केन्या में उहुरु केन्याता और ऐसे कई नेता हैं। ब्रिटेन के 'ब्रेक्जिट में भी संकीर्ण राष्ट्रवाद का मजबूत तत्व निहित था, जब ब्रिटेन डेविड कैमरॉन के अधीन योरपीय संघ से अलग होने की रस्साकशी में उलझा था। ट्रंप द्वारा मेक्सिको की सीमा पर दीवार निर्मित करने की घोषणा ने मेक्सिकन्स को भी 'राष्ट्रवादी बनने के लिए मजबूर कर दिया।

निश्चित तौर पर दुनिया 'मेरा देश सर्वप्रथम जैसे राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की ओर लौट रही है। यह परिदृश्य 1980 के दशक या उससे पहले के किसी भी दौर से काफी अलग व जटिल है। आज के नए राष्ट्रवादी नायकों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। ट्रंप और शी की उम्र सत्तर साल से ज यादा है तो पुतिन 65 साल के हैं। देखना होगा कि इन नेताओं की यह संरक्षणवादी प्रवृत्ति दुनिया को किस मोड़ पर लेकर जाएगी।

था, तब उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा हुआ था। उस दौरान जाने कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई थीं। काफी समय बाद स्टालिन जैसे तानाशाह सत्ता में आए जिनने न केवल रूस की राजनीति को हमेशा के लिए बदल डाला, बल्कि विश्व राजनीति को भी गहरे प्रभावित किया। इसी बात का डर और भय रूसवासियों को है। चूंकि पुतिन के 18 वर्षो के कार्यकाल में राजनीतिक संस्थाएं बिखर चुकी हैं। न राजनीतिक पार्टी का कोई अस्तित्व है, और न ही संसद का कोई अस्तित्व रह गया है। सब कुछ पुतिन कि इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। विदेश नीति से लेकर घरेलू संकट तक हर मुद्दा व्यक्तिपरक हो गया है। जब लोकतंत्र में संस्थाएं टूटती हैं, तो उसके बाद अंधकार ही बच रह जाता है। दुनिया के कई देश इसके चश्मदीद गवाह हैं। मध्य-पूर्व में जो कुछ हो रहा है, वह सब इसी का नतीजा तो है। भारत और रूस के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन पुतिन का मुख्य दुश्मन अमेरिका है, इसलिए रूस चीन के साथ चलने की तैयारी में है। यह समीकरण भारत-रूस संबंधों को भी यकीनन प्रभावित करेगा। भारत, अमेरिका के खेमे में है। चीन की नजर भारत पर भी होगी। इसलिए पुतिन की विदेश नीति को गहराई से समझना पड़ेगा।

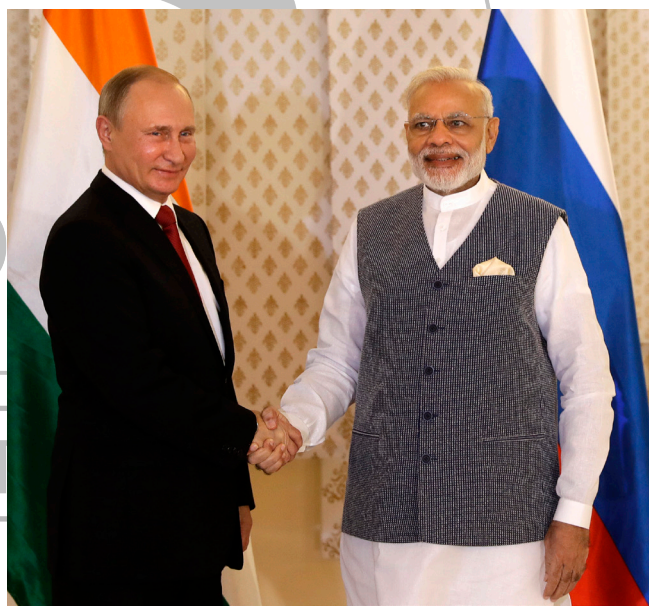

संभावित प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में रूस में हुए चुनाव में पुतिन का पुन:निर्वाचित होना भारत रूस के मध्य के संबंधों में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दोनों देश रक्षा हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा एवं तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।
- दोनों देश एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा अवसंरचना को बढ़ावा देना चाहते हैं।
- शीत युद्ध के अंत से ही वैश्विक परिस्थितियों में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ है, ऐसे में दोनों देशों को अपने साझा हितों को विघटनकारी प्रवृत्तियों से बचाने की आवश्यकता है।
- ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के संबंध, वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के बावजूद स्थिर बने हुए हैं।
- शीत युद्ध के बाद भारत-सोवियत रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तन

रूस एवं चीन

- चीन के खतरे को देखते हुए ही दिल्ली और मास्को एक-दूसरे के करीब आए।
- शीत युद्ध के अंत के बाद रूस, चीन को अब अपनी सुरक्षा के लिये खतरा नहीं मानता है।
- रूस द्वारा चीन के साथ सीमा विवाद के निपटारे, आर्थिक और व्यापार संबंधों में विस्तार और रूसी हथियारों और रक्षा प्रौद्योगिकियों का चीन एक प्रमुख आयातक होने के कारण भारत एवं रूस का चीन के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण है।
- लेकिन चीन के बढ़ते विस्तार और परमाणु शस्त्रागार में गुणात्मक वृद्धि के कारण रूस अभी भी चीन के बारे में बहुत सावधान है। यह एक कारण हो सकता है कि रूस परमाणु हथियारों में कटौती से हिचकिचता रहा है।
- चीन द्वारा मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में विकसित किये जा रहे चीनी मार्ग पर भी रूस को आपत्ति है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों का सामरिक महत्त्व है।
- रूस की चीन के साथ वर्तमान निकटता सामरिक संबंधों के कारण बनी हुई है।

भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है?

- भारत को रूस-चीन के नए और सकारात्मक संबंधों के साथ समायोजित करने की आवश्यकता है।
- हमें चीन का सामना करने और पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने के लिये मास्को पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।
- भारत की तरह रूस भी एक बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है, लेकिन वह भी ऐसे विश्व की स्थापना नहीं चाहता, जिसकी परवी चीन करे। अत: हमें रूस के साथ दीर्घकालिक संबंधों के लिये एक व्यापक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।
- भारत को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आगे बढ़ाना चाहिये और एक सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये। इन सब परिस्थितियों को देखते हुये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका का रूस द्वारा समर्थन किया जा सकता है।
- रूस, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ भारत को अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिये।
- यह भारत के हित में होगा कि वह इन तीनों प्रमुख भागीदारों का समन्वित समर्थन प्राप्त करे, ताकि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में चीन के विरोध को कम किया जा सके तथा एन.एस.जी. में छूट प्राप्त की जा सके।
- एक अधिक संयुक्त और सुसंगत यूरोपीय संघ में रूस के फिर से जुड़ने का भारत द्वारा समर्थन किया जाना चाहिये, क्योंकि यह भारत के लिये लाभकारी होगा।
- अगर भारत के यू.एस.ए. , पश्चिमी यूरोप और रूस के साथ संबंध मजबूत होते है तो यह भारत को विश्व भू-राजनीति में अहम् भूमिका निभाने में मदद करेगा।

भारत-रूस रक्षा, परमाणु, ऊर्जा संबंध

- शीत युद्ध के अंत से ही भारत ने रूस के साथ एक मजबूत दीर्घकालिक ऊर्जा भागीदारी स्थापित करने की कोशिश की है।
- भारत और रूस को पहले से चल रहे रक्षा हार्डवेयर और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।
- अगर इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय बाजार में हानि होती है तो इससे रूस को एक बड़ा झटका लग सकता है और भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी से वंचित होना पड़ सकता है।
- इन्हीं सब कारणों से सेंट पीटर्सबर्ग में हुई बैठक में भारत और रूस ने एक 'ऊर्जा गलियारा' स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की और अपेक्षाकृत स्वच्छ और जलवायु-अनुकूल ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर जोर दिया।
- लेकिन हाल की यात्रा के दौरान पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के सहयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके सह-उत्पादन और विकास को लेकर दोनों देशों के मध्य लगभग एक दशक पहले सहमति बनी थी।

न्याय की चौखट से न्याय की आस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2 (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील न्यायपालिका में महिलायें अभी भी समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। संसदीय समिति बार-बार महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश कर रही है। इस संदर्भ में हिन्दी समाचार पत्र 'दैनिक ट्रिब्यून' में प्रकाशित लेख का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

विडम्बना ही है कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील न्यायपालिका में महिलायें अभी भी समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। संसदीय समिति बार-बार महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश कर रही है। देश के 24 उच्च न्यायालयों में कार्यरत 673 न्यायाधीशों में इस समय सिर्फ 73 महिला न्यायाधीश हैं जबकि अधीनस्थ न्यायपालिका में कार्यरत 15959 न्यायाधीशों में 4409 महिला न्यायाधीश ही हैं। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय में तो कार्यरत 24 न्यायाधीशों में एक ही महिला न्यायाधीश है।

जिस देश में महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे पदों को सुशोभित करती हों वहां उच्चतम न्यायालय के 60 साल के इतिहास में किसी महिला न्यायाधीश का प्रधान न्यायाधीश नहीं बनना कई सवालों को जन्म देता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है लेकिन उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी के लिये क्या सरकार को जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है, शायद नहीं। इसके लिये तो उच्चतर न्यायपालिका को ही अपनी चयन प्रक्रिया का आत्मावलोकन करके यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को आनुपातिक में प्रतिनिधित्व मिले।

इस समय उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया पूरी करके सरकार के पास नामों की सिफारिश भेजने में उच्चतम न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश मुख्य भूमिका निभाते हैं लेकिन इस समिति में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के बगैर किसी भी महिला न्यायाधीश के लिये इस चयन समिति तक पहुंचना संभव नहीं लगता। इस विशाल अंतर को देखते हुए ही विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने महिला न्यायाधीशों की संख्या 50 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। समिति ने वर्ष 2016-2017 की अनुदान संबंधी मांगों पर अपने 84वें प्रतिवेदन में भी यह सिफारिश की थी। समिति चाहती है कि उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायपालिका में अधिक से अधिक महिला न्यायाधीशों को शामिल करने के उपाय करने चाहिए।

हालांकि संसदीय समिति ने महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत करने की सिफारिश की है लेकिन एक तथ्य यह भी है कि देश की सर्वोच्च अदालत में 1989 से लेकर आज तक किसी भी अवसर पर दो महिला न्यायाधीश नहीं रही हैं। देश में अनेक सफल महिला वकील होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय में अब तक सिर्फ छह महिला न्यायाधीश ही नियुक्त हुई हैं। देश को आज भी एक महिला प्रधान न्यायाधीश का इंतजार है। यह भी संयोग ही है कि वर्ष 2017 में देश के चार उच्च न्यायालयों की बागडोर महिला मुख्य न्यायाधीशों के हाथ में थी लेकिन इस वर्ष कम से कम तीन उच्च न्यायालयों में महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। इनमें भी बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालय की बागडोर संभालने वाली महिला न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने अपनी अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं के लिये 35 से लेकर पांच प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की है। संसदीय समिति का मानना है कि राज्यों को इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार और राजनीतिक दलों के रवैये को देखते हुए यह सपना साकार होने की उम्मीद कम ही लगती है। केन्द्र सरकार ने पिछले सप्ताह ही लोकसभा को बताया था कि एक समय देश के 24 उच्च न्यायालयों में कार्यरत 673 न्यायाधीशों में 73 महिला न्यायाधीश हैं। इनमें से बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय में 11.11 और दिल्ली उच्च न्यायालय में 10 महिला न्यायाधीश हैं। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय में अभी भी 24 कार्यरत न्यायाधीशों में एक ही महिला न्यायाधीश है। सरकार के अनुसार हालांकि न्यायपालिका में जाति और वर्ण के आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है लेकिन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि न्यायाधीश पद के लिये नामों की सिफारिश करते समय महिलाओं में से भी उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाये।

उम्मीद की जाती है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाने हेतु की गयी सिफारिश पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

GS World
Committed To Excellence

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यो पड़ी?

- सदियो से पुरुषो द्वारा महिलाओ पर किए गए वर्चस्व और भेदभाव के कारण महिला सशक्तीकरण के लिए आवश्यकता पैदा हुई है। सैकड़ो औरते दुनियाभर मे पुरुषो द्वारा किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार की लक्ष्य बनी है। भारत अलग नही है,भारत एक जटिल देश है। जहां पर देवी की पूजा की जाती है, अपनी बेटियो,माताओ और बहनो को महत्व दिया जाता है।
- वही दूसरी ओर परम्पराओ, रीति-रिवाजो और धार्मिक मान्यताओ की आड़ मे उनपर दुराचार भी किया गया है। हर धर्म मे महिलाओ को सम्मान देना सीखाया जाता है, लेकिन अनेक कुरीतिया और प्रथाए ऐसी है, जिनके चलते औरतो को प्रताड़ित किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए:- सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, यौन हिंसा,यौन उत्पीड़न, घर या काम के स्थान पर, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा आदि।

संवैधानिक मौलिक अधिकार

- भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार पुरुषो की तरह सभी क्षेत्रो मे महिलाओ को बराबर अधिकार देने के लिए कानूनी स्थिति है। भारत मे बच्चो और महिलाओ के उचित विकास हेतु इस क्षेत्र मे महिला और बाल-विकास अच्छे से कार्य कर रहा है ।
- संविधान के अनुच्छेद-14 मे कानूनी समानता, अनुच्छेद-15 (3) मे जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना।
- अनुच्छेद-16 (1) मे लोक सेवाओ मे बिना भेदभाव के अवसर की समानता। अनुच्छेद-19 (1) मे समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद-21 मे स्त्री एवं पुरुषो दोनो को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना।
- अनुच्छेद-23-24 मे स्त्री एवं पुरुष दोनो को ही शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त।
- अनुच्छेद-25-28 मे धार्मिक स्वतंत्रता दोनो को समान रूप से प्राप्त।
- अनुच्छेद-29-30 मे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
- अनुच्छेद-32 मे संवैधानिक उपचारो का अधिकार।
- अनुच्छेद-39(घ) मे पुरुषो एवं स्त्रियो दोनो को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
- अनुच्छेद-42 महिलाओ हेतु प्रसुति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था।
- अनुच्छेद-51(क)(ड) मे भारत मे सभी लोग ऐसी प्रथाओ का त्याग करे जो स्त्रियो के सम्मान के विरुद्ध हो।
- अनुच्छेद-33 (क) मे प्रस्तावित 84वे संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा मे महिलाओ के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
- अनुच्छेद-332 (क) मे प्रस्तावित 84वे संशोधन के जरिए राज्यो की विधानसभाओ मे महिलाओ के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
- गर्भावस्था मे ही मादा भ्रूण हत्या करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 निर्मित किया गया।इसका पालन न करने वालो को 10-15 हजार रुपए का जुर्माना तथा 3-5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के लिए 1961 मे 'दहेज निषेध अधिनियम' बनाया गया। 1986 मे इसे भी संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया।
- विभिन्न संस्थाओ मे कार्यरत महिलाओ के स्वास्थ्य लाभ के लिए अवकाश की विशेष व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद-42 के अनुकूल करने के लिए 1961 मे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया। इसके चलते 135 दिनो का अवकाश मिलने लगा है।

भारतीय दंड संहिता मे महिलाओ के लिए कानून

- दहेज हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान- दहेज हत्या को लेकर भारतीय दंड संहिता(आई.पी.सी.) मे स्पष्ट प्रावधान है। इसके अंतर्गत धारा-304(बी), 302, 306 एवं 498-ए आती है।
- दहेज हत्या का अर्थ है, औरत की जलने या किसी शारिरिक चोट के कारण हुई मौत या शादी के 7 साल के अंदर किन्ही सन्देहजनक कारण से हुई मृत्यु। इसके सम्बन्ध मे धारा-304 (बी) मे सजा दी जाती है, जो कि सात साल कैद है। इस जुर्म के अभियुक्त को जमानत नही मिलती।
- आई.पी.सी की धारा-302 मे दहेज हत्या के मामले मे सजा का प्रावधान है। इसके तहत किसी औरत की दहेज हत्या के अभियुक्त का अदालत मे अपराध सिद्ध होने पर उसे उम्र कैद या फांसी हो सकती है।
- अगर ससुराल वाले किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से हिंसा का शिकार बनाते है,जिसके जिसके चलते वह औरत आत्महत्या कर लेती है, तो धारा-306 लागू होगी, जिसके तहत दोष साबित होने पर जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है।
- पति या रिश्तेदार द्वारा दहेज के लालच मे महिला के साथ क्रूरता और हिंसा का व्यवहार करने पर आई.पी.सी की धारा-498 (ए) के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

संभावित प्रश्न

प्रश्न. महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील न्यायपालिका में महिलायें अभी भी समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या उचित कार्यवाही की जानी चाहिए? चर्चा कीजिए।